उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 1
(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018)

संदर्भ–

1. *उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (शासनादेश संख्या– **61/XXVII(7)36/2017**, दिनांक 02 अप्रैल, 2018)*
2. *शासनादेश संख्या– **323/XXVII(7)/19-50(07)/2019**, दिनांक 20 सितम्बर, 2019*
3. *शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019*
4. *शासनादेश संख्या– **293/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020*
5. *शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022*
6. *शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023*
7. *शासनादेश संख्या– 234639**/XXVII(9)/02-**वि0अ0क0प्र0**/2024/**ई–7**6694**, दिनांक 28 अगस्त, 2024*
8. *शासनादेश संख्या– 334307/2025/**XXVII(9)/01**/वि0अ0क0प्र0/2024/ई–91564, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025*

09 नवम्बर, 2000 को राज्य गठन के समय ''उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1'', उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–86 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में लागू रही। वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत शासनादेश सं० 562/xxvii(7)2010, दिनांक 24 मई, 2010 द्वारा वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2010 का प्रख्यापन किया गया। अग्रेत्तर कतिपय प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होने तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित दरों के प्रासंगिक न रह जाने के दृष्टिगत पूर्व प्रख्यापित प्रतिनिधायनों को अतिक्रमित करते हुए ''उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018)'' वर्ष 2018 में प्रख्यापित की गई जिसमें समय–समय पर यथाआवश्यक संशोधन किए जाते रहे हैं।

- उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 में प्रशासकीय विभाग, विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को प्रतिनिधायित किए गए वित्तीय अधिकारों का वर्णन किया गया है।
- किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।
- इस अध्याय में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 के मूल प्रावधानों के अतिरिक्त उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों को भी उसी क्रमांक के साथ अंकित कर दिया गया है ताकि पाठकों को एक ही स्थान पर पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाए। अध्याय में महत्वपूर्ण प्रस्तरों को highlight भी कर दिया गया है। यह वित्तीय हस्त पुस्तिका मूल रूप में हिन्दी में है किन्तु यथास्थान कठिन शब्दों का अंग्रेजी रूपांतरण भी अंकित कर दिया गया है।
- वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन का मूल 'भारत का संविधान' है। इसमें वर्णित निम्न अनुच्छेद इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं– **Article 166 in Constitution of India**

166. Conduct of business of the Government of a State

(1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor.
(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

Article 154 in Constitution of India

154. Executive power of State

(1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1

विषय सूची

भाग–1

शासन के वित्तीय अधिकार

	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1. परिभाषायें	3
अध्याय 2. अधिकार का न्यायगमन	4
अध्याय 3. अधिकारों का प्रतिनिधायन	4–10
खण्ड I	
खण्ड– II व खण्ड– III	
खण्ड– IV व खण्ड– V	
खण्ड–VI व खण्ड– VII	
खण्ड– VIII खण्ड– IX व खण्ड– X	
अध्याय 4. विभागाध्यक्षों की सूची	10–15

भाग–2

अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्रों की सूची–

1. आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय	16–31
2. भूमि, भवन और किराया	32–42
3. निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय	43–51
4. ठेके और टेण्डर	52–57
5. भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति	58–64
6. राजस्व में छूट अथवा परित्यजन	65–67
7. हानियों को बट्टे खाते डालना	68–74
8. विविध वित्तीय अधिकार	75–83

भाग–1

शासन के वित्तीय अधिकार

अध्याय–1

परिभाषायें

1.1 जब तक कि विषय अथवा प्रसंग में कोई बात इसके प्रतिकूल न हो, इस नियम संग्रह में इस्तेमाल किये गये शब्द, जिस आशय में प्रयोग किये गये हैं, उनको यहां परिभाषित किया गया है।

1.2 ''संविधान'' से तात्पर्य भारत के संविधान से है।

1.3 ''वित्त विभाग'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग से है।

1.4 ''राज्यपाल'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है।

1.5 ''शासन'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

1.6 ''सरकारी सेवक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त हों, जिनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा संविधान की सुसंगत धाराओं के अधीन निर्धारित की गयी हैं।

1.7 ''विभागाध्यक्ष'' से तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जो शासन द्वारा इस रूप में विशेष रूप से घोषित किया गया हो (देखें परिशिष्ट–1)।

1.8 ''कार्यालयाध्यक्ष'' से तात्पर्य कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है।

1.9 ''राज्य का राजस्व'' से संविधान के अनुच्छेद 266 का खण्ड 1 और वित्तीय नियम संग्रह के खण्ड 5, भाग–1 के अध्याय 2 और 3 में निर्दिष्ट 'राज्य के समेकित निधि में प्राप्तियां' अभिप्रेत है।

1.10 ''राज्य'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है।

अध्याय–2

अधिकार का न्यायगमन **(Devolution of Rights)**

राज्य के कार्यकारी प्राधिकार **(Executive Power of State)**

2.1 संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी प्राधिकार राज्यपाल में निहित हैं और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

2.2 जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (1) में दिया हुआ है, शासन के समस्त कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे और राज्यपाल के नाम से दिये गये समस्त आदेश और निष्पादित समस्त दस्तावेज उन नियमों के अनुसार प्रमाणित किये जायेंगे जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) के अधीन बनाये जायें।

अध्याय–3

अधिकारों का प्रतिनिधायन

खण्ड I
सामान्य

3.1 शासन के अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत और उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को उस सीमा तक और ऐसे प्रतिबंधों के साथ, जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझे, अथवा जो संविधान या शासन के नियमों अथवा आदेशों या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा पहले से ही लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं। वे शर्तें और प्रतिबन्ध, जिनके अधीन ऐसे अधिकार प्रतिनिहित किये जायें, प्रतिनिहित करने के आदेशों अथवा नियमों में निर्दिष्ट कर देने चाहिए।

3.2 प्रतिनिहित अधिकार का प्रयोग उपर्युक्त प्रस्तर 3.1 में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और सामान्य नियमों तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये विशेष निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा। सभी मामलों में, शासकीय धन का किसी प्रकार का व्यय करने से पूर्व अथवा उसका किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने अथवा अग्रिम देने से पूर्व निम्नलिखित मूलभूत शर्ते अवश्य पूरी की जानी चाहिए, अर्थात् :–

(1) उक्त व्यय की वास्तव में जनहित में आवश्यकता हो।

(2) उक्त व्यय वास्तविक मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) उक्त व्यय करने की अथवा धन का भुगतान करने अथवा अग्रिम देने की विशिष्ट स्वीकृति अथवा प्राधिकार हो,

(4) व्यय करने का अथवा भुगतान करने या अग्रिम देने का प्राधिकार अथवा उसकी स्वीकृति तब तक प्रयोग में नहीं लायी जायेगी, जब तक कि उस व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां बजट मैनुअल में दिये हुए नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोजित न कर ली गयी हों, और

(5) वित्तीय औचित्य के निर्धारित मापदण्डों में से (जो बजट मैनुअल में उद्धृत किये गये हैं) किसी का उल्लंघन न होता हो।

टिप्पणी– ऐसे मामलों में जिनमें कोई विशिष्ट वित्तीय प्रतिनिधायन किसी अधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो, तो उसी विषय पर किया गया सामान्य वित्तीय प्रतिनिधायन, यदि कोई हो, लागू नहीं होगा।

3.3 वित्तीय नियम बनाने का अधिकार शासन के वित्त विभाग के अतिरिक्त किसी भी विभाग को प्रतिनिहित नहीं किया जा सकता है।

3.4 वित्तीय अधिकार केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही प्रतिनिहित किये जा सकते हैं।

3.5 किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये वित्तीय अधिकार, वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किये जायेंगे।

3.6 *प्रस्तर 3.1 के अधीन शासन द्वारा किये गये प्रतिनिधान इस अध्याय के अगले खण्डों में दिये गये हैं और उनका सविस्तार वर्णन इस नियम संग्रह के भाग–2 में दिये हुए विवरण पत्रों में किया गया है। किन्तु इस नियम संग्रह में सम्पूर्ण प्रतिनिधानों का उल्लेख नहीं है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–**II,** खण्ड–**III,** खण्ड–**V,** खण्ड–**VI** एवं खण्ड–**VII**, बजट मैनुअल एवं अन्य विभागीय मैनुअलों में दिये हुए नियमों के अधीन किये गये प्रतिनिधान उन नियमों से सम्बन्धित संलग्न सूचियों में दिये हुए हैं। कतिपय वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधान वित्तीय नियम संग्रह के अन्य खण्डों के नियमों में भी दिये हुए हैं।*

3.7 ऊपरिउल्लिखित प्रतिनिधानों के अलावा कोई अधीनस्थ प्राधिकारी उन सब मामलों में शासन के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जिसमें कि उसे संविधान के उपबन्धों, उसके अधीन बने नियमों, संविधान के अधीन शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

तथापि इस पैरा के अधीन किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को शासन की स्वीकृति के बिना ऐसा व्यय करने का अथवा ऐसा व्यय करने को प्राधिकृत करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, जिसमें कि किसी नये सिद्धान्त, नीति अथवा प्रथा या 'नयी सेवा' पर, जैसा कि बजट मैनुअल में परिभाषित है, व्यय अन्तर्निहित हो।

खण्ड **II**
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय करने के अधिकार

3.8 आकस्मिक तथा अन्य प्रकीर्ण मामलों पर व्यय करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित किये अधिकार इस संग्रह के भाग–2 में दिये गये विवरण पत्र–1 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

टिप्पणी – आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय के सम्बन्ध में आहरण–वितरण अधिकारियों को स्वीकृत अनुदान व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि न होने पाये और वह धनराशि केवल उन्हीं निर्धारित मदों पर व्यय की जाये जो कि आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय के नामें डाली जा सकती हो।

खण्ड III

पदों का सृजन करने, वेतन की दर निर्धारित करने आदि के अधिकार

3.9 किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को अस्थायी/स्थायी पदों का सृजन करने अथवा उन्हें समाप्त करने या किसी सेवा के स्थायी काडर में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार नहीं है, और न उसे वेतन अथवा भत्तों की दरों में कमी–वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे मामलों पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्तावों को शासन के आदेशों के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त विभाग की सहमति के बिना पदों का सृजन वेतन/भत्तों का उच्चीकरण नहीं किया जायेगा। पद सृजन के प्रस्ताव विस्तृत कार्य अध्ययन (workstudy) के आधार पर औचित्य के साथ दिये जायेंगे। जब नये पदों अथवा अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग (अधिष्ठान) के लिए प्रस्ताव किये जायें तो बजट मैनुअल में दिये हुए नियमों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना चाहिए।

3.10(1) शासन द्वारा सृजित किये गये किसी अस्थायी पद का कार्यकाल शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हों, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रयोजन के लिए आय व्ययक में निधियां उपलब्ध हों अथवा आय व्ययक पारित न होने की दशा में आवश्यक व्यवस्था कराने के लिए कार्यवाही कर ली गयी हो।

3.10 (2) अवधि, जिसके लिए कोई अस्थायी पद सृजित किया जाय, बारह महीने से अधिक न हो और किसी भी दशा में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस से आगे न बढ़ायी जाय।

3.11 (1) स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन के आदेशों में ऐसे पदों का वेतनमान विनिर्दिष्ट किया जाय।

3.11 (2) स्थायी/अस्थायी पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का वेतन व वेतनमान, तद्सम्बन्धी स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

3.11 (3) तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त अस्थाई पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। कार्य की वस्तुतः आवश्यकता के दृष्टिगत यदि उक्त पद पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता हो तो शासन के वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।

3.11 (4) ऐसे विशिष्ट कर्तव्यों को पूरा करने के लिये, जिसके लिये कोई स्थायी पद सृजित हो, कोई अस्थायी/निःसंवर्गीय पद सृजित नहीं किया जायेगा।

3.11 (5) वित्त विभाग की सहमति से स्थाई प्रकृति के कार्यालयों हेतु सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता वर्षानुवर्ष सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रयोजन हेतु आय–व्ययक में प्राविधान किया गया हो।

3.11 (6) उन मामलों को छोड़कर जिनमें अधीनस्थ प्राधिकारियों को ऐसा करने के लिये शासन द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कर दिया गया हो। अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों को, शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन में नियमों से इतर कोई वृद्धि भत्ते, शुल्क अथवा मानदेय स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

खण्ड– **IV**
भूमि और भवन

3.12 उन दशाओं को छोड़कर, जो कि इस नियम संग्रह में दी गयी है अथवा शासन के किसी अन्य नियम या आदेशों में दी गयी हैं, ऐसे समस्त लेन–देन के लिए शासन की स्वीकृति अपेक्षित होगी, जिनसे कि संविधान के अनुच्छेद 294 से 296 और अनुच्छेद 298 और 299 के अधीन राज्य सरकार के प्रयोजनों के लिए उनकी निहित सम्पत्ति पर शासन के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

अतएव, भूमि के अधिग्रहण, विक्रय, हस्तान्तरण, विनिमय, संक्रमण अथवा निःशुल्क दान या शासकीय भूमि पर पट्टे पर देना, अभ्यर्पित करना या अन्य अधिकार और रियायतें देने के समस्त प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्तुत करना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी शासकीय भवन की खरीद करने, निर्माण करने, विध्वंस करने, पट्टे पर देने या बिक्री करने और उस पर कोई व्यय करने के लिए शासन की स्वीकृति आवश्यक है। तथापि, कतिपय विशिष्ट मामलों में शासन ने इस सम्बन्ध में अपने अधिकार कतिपय अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर दिये हैं जिनका उल्लेख भाग–2 में दिये गये विवरण पत्र–2 में किया गया है।

खण्ड **V**
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

3.13 उन प्रतिबन्धों के अधीन जिन्हें शासन पृथक–पृथक मामलों में लगाये अथवा जो शासन द्वारा लगाये गये हों, अनेक मामलों में निर्माण कार्यों पर व्यय करने से सम्बन्धित शासन के अधिकारों का प्रयोग अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जिनका उल्लेख भाग–2 में दिये गये विवरण पत्र–3 में किया गया है।.

3.14 अनुमान तैयार करने तथा स्वीकृत करने, टेण्डर मांगने, ठेके देने, निर्माण कार्यों का निष्पादन करने अथवा उसका पर्यवेक्षण करने, निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित सामग्री की खरीद करने और ऐसे समस्त लेन–देनों का समुचित रूप से अभिलेख रखने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करने वाले नियम, सार्वजनिक निर्माण तथा वन विभागों के निर्माण कार्य के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 और 7 में और अन्य विभागों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 13 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर

संशोधित कय नियमावली) त्था वैभागिक मैनुअलों में भी दिये गये हैं। इन नियमों में दी हुई प्रक्रिया का अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उनको प्रतिनिहित किये गये अधिकारों का प्रयोग करते समय सख्ती से पालन करना चाहिए।

3.15 अनुमान स्वीकृत करने, स्वीकृत अनुमानों में परिवर्तन करने, अधिक व्यय पास करने आदि के अधीनस्थ प्राधिकारियों के अधिकार, इस नियम संग्रह के भाग–2 के विवरण पत्र–3 में भी दिये गये हैं, और ऊपर पैरा 3.14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उनका प्रयोग करना चाहिए।

खण्ड **VI**
ठेके और टेण्डर

3.16 इस नियम संग्रह के संलग्न विवरण पत्र–4 में उल्लिखित अधीनस्थ प्राधिकारियों को निम्नलिखित पैरा 3.17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, टेण्डर मांगने तथा उन्हें स्वीकार करने और कार्य के निष्पादन हेतु ठेके देने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रकार का ठेका देते समय अधीनस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय नियम संग्रह के खण्ड–6 के अध्याय 14 में तथा खण्ड–5, भाग–1 के परिशिष्ट 19 व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) में दिये हुए सामान्य सिद्धान्तों का अनुपालन करना होगा।

3.17 संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के अधीन, राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी के प्रयोग में दिये गये समस्त ठेके, राज्यपाल द्वारा किये गये अभिव्यक्त किये जाने चाहिए, और उस प्राधिकार के प्रयोग में दिये गये समस्त ठेके और सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र उन व्यक्तियों द्वारा और उस प्रकार से, जैसा कि वह निदेश या प्राधिकृत करे, राज्यपाल की ओर से निष्पादित किये जाने चाहिए। इस विषय में न्याय विभाग द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

खण्ड– **VII**
भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल सम्पत्ति

3.18 शासकीय भंडार (स्टोर्स), सामग्री (स्टाक), लेखन सामग्री तथा अन्य चल सम्पत्ति के अधिग्रहण, क्रय, हस्तान्तरण, विक्रय और निस्तारण सम्बन्धी समस्त लेन–देनों के लिए शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, तथापि शासन ने इन मामलों के सम्बन्ध में अपने अधिकार कतिपय अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर दिये हैं। इस नियम संग्रह के भाग–2 के विवरण पत्र–5 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भण्डार (स्टोर्स) के खरीदने अथवा बेचने, शासन के विभागों, वैभागिक कार्यालयों के लिए अपेक्षित फर्नीचर तथा अन्य सज्जा का मापक्रम निर्धारित करने आदि के अधिकार इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये हैं। इस विवरण पत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, खण्ड–6 व खण्ड–7, मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स, भण्डार (स्टोर्स) क्रय नियमावली तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर संशोधित) तथा अन्य विभागीय विनियमों में दिये हुए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.19 फालतू अथवा निष्प्रयोज्य भण्डार (स्टोर्स) अथवा सामग्री (स्टाक) को उनके पुस्तक मूल्य अथवा ह्रासित मूल्य से कम कीमत पर बेचने के अधिकार में परिणामी हानि को बट्टे खाते लिखने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ऐसे विक्रय

में हुई हानियां किस सीमा तक अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा बट्टे खाते लिखी जा सकती है, वह भाग–2 में विवरण पत्र–7 में विनिर्दिष्ट की गयी है।

खण्ड **VIII**
राजस्व का परित्यजन

3.20 शासन के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले राजस्व के परित्यजन संबंधी शासकीय अधिकारों की सीमायें तथा परिस्थितियां इस नियम संग्रह के भाग–2 के विवरण पत्र–6 में विनिर्दिष्ट की गयी है।

इन अधिकारों का प्रयोग, राजस्व के प्रत्येक वर्ग से संबंधित नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार किया जायेगा।

खण्ड **IX**
हानियों को बट्टे खाते डालना

3.21 इस खण्ड में दिये हुए उपबन्धों को छोड़कर, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को भण्डार (स्टोर्स) के न वसूल होने योग्य मूल्य को अथवा किसी जालसाजी या किन्हीं व्यक्तियों की असावधानी या किन्हीं अन्य कारणों द्वारा हुई शासकीय धन की हानि को अन्ततः बट्टे खाते में डालने का अधिकार नहीं है। भाग–2 के विवरण–पत्र–7 में उल्लिखित विशिष्ट मामलों में अधीनस्थ प्राधिकारियों को बट्टे खाते में डालने के लिए प्राधिकृत किया गया है, किन्तु शर्त यह है कि–

(क) किसी एक मामले में बट्टे खाते में डालने की धनराशि उस अधिकतम सीमा या सीमाओं से अधिक नहीं होगी, जो कि शासन द्वारा किसी नियम अथवा आदेश द्वारा प्रत्येक अधीनस्थ प्राधिकारी के लिए विनिर्दिष्ट की जाये और

(ख) उस हानि से (1) किसी कार्यप्रणाली के ऐसे दोष का पता न चले जिसके संशोधन के लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश अपेक्षित हों, अथवा (2) किसी एक अधिकारी या अधिकारियों की गंभीर असावधानी का पता न लगे जिसके लिए किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश प्राप्त कर सम्भवतः किसी अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता हो।

टिप्पणी– (1) ऊपर प्रयोग किये गये 'भण्डार (स्टोर्स) मूल्य' शब्दों का अर्थ, जहां मूल्य सन्बन्धी लेखा रखे जाते हों, 'खाता मूल्य' के रूप में समझना चाहिए और अन्य मामलों में 'प्रतिस्थापन मूल्य' समझना चाहिए।

(2) इस नियम के अधीन बट्टे खाते में डालने की समस्त स्वीकृतियों की सूचना महालेखाकार को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, जो मामलों की परिनिरीक्षा करेगा और कार्यप्रणाली या नियमों के किसी ऐसे दोष की, जिसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो, सूचना शासन को देगा।

(3) ये नियम कोषागारों में हुई नकदी की हानियों पर लागू नहीं होते हैं, चाहे वे प्रेषण के दौरान में हुई हों अथवा कोषागार के शेष में से, छोटे सिक्कों में डिपो से अथवा करेन्सी तिजोरी में से हुई हों ऐसी हानियों में प्रत्येक मामले को शासन के आदेशों के लिए सूचित करना चाहिए।

3.22 जब कोई हानि बट्टे खाते डालने के लिए किसी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को सूचित की जाये तो उस प्राधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 के सम्बन्धित नियमों के संदर्भ में यह देखना चाहिए कि क्या सम्बन्धित अधीनस्थ प्राधिकारी ने विहित प्रक्रिया का पालन किया है और क्या उसने नियमों के अधीन अपेक्षित कार्यवाही की है।

खण्ड– **X**
विविध वित्तीय अधिकार

3.23 विविध अधिकारों से संबंधित वित्तीय प्रतिनिधायन, जो उपरोक्त वर्गीकरणों से आच्छादित नहीं हैं, इस नियम संग्रह के भाग–2 के संलग्न विवरण पत्र–8 में सम्मिलित है।

अध्याय–4

परिशिष्ट–1

उन प्राधिकारियों की सूची जो विभागाध्यक्ष घोषित किये गये हैं:

1. अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड

2. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड

3. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड

4. अध्यक्ष, न्यायाधिकरण सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड

5. अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड

6. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड

7. अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासकीय प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

8. अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उत्तराखण्ड

9. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड

10. अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड

11. अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड

12. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

13. कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन

15. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड

16. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड

17. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड

18. सचिव, अनु0 जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड

19. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

20. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड

21. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड

22. महाप्रशासक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड

23. मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड

24. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग

25. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड

26. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड

27. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड

28. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड

28. आयुक्त, आबकारी उत्तराखण्ड

30. आयुक्त, गन्ना उत्तराखण्ड

31. आयुक्त, खाद्य, उत्तराखण्ड

32. आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

33. आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड

34. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली

35. राहत आयुक्त, उत्तराखण्ड

36. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड

37. मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड

38. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

39. महानिदेशक, प्रशासनिक अकादनी, उत्तराखण्ड

40. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

41. महासमादेष्टा, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

42. महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड

43. पुलिस,महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल

44. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

45. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड

46. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

47. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

48. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

49. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

50. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

51. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

52. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

53. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

54. विद्युत निरीक्षक, विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

55. नियंत्रक, बट एवं माप, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड

56. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड

57. निदेशक, अभिलेखागार, उत्तराखण्ड

58. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड

59. निदेशक, नंदादेवी बायोस्फियर रिजर्व, उत्तराखण्ड

60. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तरखण्ड

61. निदेशक, खेलकूद विभाग, उत्तराखण्ड

62. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

63. निदेशक, कोषागर, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड

64. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराख्ण्ड

65. निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

66. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तराखण्ड

67. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

68. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड

69. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड

70. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

71. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, उत्तराखण्ड

72. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, उत्तराखण्ड

73. निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड

74. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

75. निदेशक, उच्चशिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

78. निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

77. निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, उत्तराखण्ड

78. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तराखण्ड

79. निदेशक, अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

80. निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड

81. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड

82. निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड

83. निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल, उत्तराखण्ड

84. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, उत्तराखण्ड

85. निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

86. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

87. निदेशक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड

88. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

89. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड

90. निदेशक, होम्योपैथिक, उत्त्तराखण्ड

91. निदेशक, पर्यटन, उत्तराखण्ड

92. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उत्त्तराखण्ड

93. अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड। (शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधित, इससे पूर्व "निदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड" वर्ष 2018 की मूल नियमावली में अंकित था)

94. निदेशक, राज्य शिक्षा परिषद, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड

95. निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड

96. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

97. निदेशक, सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड

98. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड

99. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

100. निदेशक, राज्य वित्त आयोग, निदेशालय

101. निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तराखण्ड

102. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड

103. रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स, उत्तराखण्ड

104. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड

105. राज्य सम्पदक, जिला गजेटियर्स

नोट– उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में संशोधन (शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019) द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों को भी विभागाध्यक्ष की सूची में सम्मिलित किया गया है–

106. निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड

107. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (श्रम चिकित्सा सेवायें), उत्तराखण्ड

108. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, सी.टी.आर.एफ.ए., सुद्धोवाला, देहरादून

109. आयुक्त, खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग

110. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, उत्तराखण्ड

भाग–2
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्र–1
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

<table>
<tr><th>क.सं.</th><th>अधिकार का प्रकार</th><th>किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा</th><th>परिसीमायें</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">1</td><td rowspan="3">(i) सामान्य व्यय के प्रत्येक मामले में यथा, लेखन सामग्री, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी, कार्यालय व्यय आदि का क्रय।</td><td>1– प्रशासकीय विभाग</td><td>पूर्ण अधिकार</td><td>–</td></tr>
<tr><td>2– विभागाध्यक्ष</td><td>पूर्ण अधिकार</td><td>–</td></tr>
<tr><td>3– कार्यालयाध्यक्ष</td><td>सामग्री क्रय हेतु एक बार में रू0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) तक</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ii) चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।</td><td>1– प्रशासकीय विभाग</td><td>पूर्ण अधिकार</td><td rowspan="3">शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ।</td></tr>
<tr><td>2–विभागाध्यक्ष</td><td>किसी एक कार्मिक/पेंशनर के मामले में रू0 5,00,000 (पांच लाख) की सीमा तक।</td></tr>
<tr><td>3– कार्यालयाध्यक्ष</td><td>किसी एक कार्मिक/पेंशनर के मामले में रू0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) की सीमा तक।</td></tr>
<tr><td>*(iii)टेलीफोन संयोजन/ मोबाईल /डेटा कार्ड/लीज लाईन / इंटरनेट/ वी–सेट।</td><td>1– प्रशासकीय विभाग</td><td>पूर्ण अधिकार</td><td>सुसंगत नियमों/शासनादेशों में निर्धारित अनुमन्यता के अधीन बजटीय सीमा तक।</td></tr>
</table>

		*2– विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		*3– कार्यालयाध्यक्ष	रू0 01 लाख (रू0 एक लाख) प्रतिवर्ष की सीमा तक	
	*इस उपक्रमांक अंतर्गत शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा ''विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष'', इनकी परिसीमाओं तथा ''अभियुक्ति स्तम्भ'' को जोड़ा गया है। इससे पूर्व इसमें ''विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष'' को इस उपक्रमांक अंतर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन नहीं किया गया था।			
	(iv) नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ कैन्टोनमेंट बोर्ड आदि निकायों के करों तथा बिजली, पानी व टेलीफोन के बिल सम्बन्धी व्यय का भुगतान स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2– विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
	(v) कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर, फोटोकॉपियर, वॉटर कूलर/ प्यूरीफायर/ ए०सी० आदि कार्यालय संबंधी उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण/अनुबंध किया जाना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	***अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए बजटीय सीमा के अन्तर्गत। प्रतिबंध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य सक्षम फर्म से करवाया जा सकेगा। जिसकी दर क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) की 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।
		2–विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	एक समय में रू० 15,000 (पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रू0 1,00,000 (एक लाख) तक की सीमा तक।	

* वर्ष 2018 की मूल नियम संग्रह के अभ्युक्ति स्तम्भ में निम्न वाक्य में अंकित था– ''प्रतिबंध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (**OEM**) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) की 8 प्रतिशत से अनधिक होगी।''

*शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित परिसीमा अन्तर्गत निम्नवत् प्रावधान रखा गया– ''अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए एवं बजटीय सीमा में रहते हुए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (**OEM**) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा जिसकी दर क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) की 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।''

*******शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा अभियुक्ति स्तम्भ को संशोधित किया गया है। इसके अन्तर्गत ''अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य सक्षम फर्म से करवाया जा सकेगा'' वाक्य को जोड़ा गया है।

	(vi) बीज, पौध, रसायन एवं उर्वरक क्रय।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अन्तर्गत ।
		2– विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3– कार्यालयाध्यक्ष*	बीज क्रय हेतु एक बार में रु० 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) मूल्य तक	

* इससे पूर्व उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (शासनादेश संख्या– 61/XXVII(7)36/2017, दिनांक 02 अप्रैल, 2018) में कार्यालयाध्यक्ष हेतु परिसीमायें ''एक बार में रू 30,000/– (रू तीस हजार) मूल्य तक'' थीं और अभियुक्ति स्तम्भ रिक्त था।

* शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमाओं को रू0 30,000 से बढ़ाकर रू0 2.50 लाख किया गया है तथा अभियुक्ति स्तम्भ में उपरोक्त वाक्य को जोड़ा गया है।

	(vii) औषधियों का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2. (i) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2. (ii)निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 05 करोड़ की सीमा तक।	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अन्तर्गत ।
		******2.(iii) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाऐं	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 2.00 करोड (रू0 दो करोड़) की सीमा तक	
		******2. (vi) निदेशक, हौम्योपैथिक	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0	

			1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक	
		*3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ की सीमा तक।	
		4.(i) *मुख्य चिकित्साधिकारी /राजकीय चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	
		**4. (ii) जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी **4(iii) जिला हौम्योपैथिक मेडिकल अधिकारी	औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक	
	इस उपक्रमांक में अब तक हुए संशोधनों का क्रमवार विवरण– उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (शासनादेश संख्या–61/XXVII(7)36/2017, दिनांक 02 अप्रैल, 2018) में इस उपक्रमांक 2. (i) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं 2. (ii)निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को ही अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था व इनका क्रमांक भी क्रमशः 1 एवं 2 था। तत्समय इन दोनों की परिसीमायें ''औषधि क्रय हेतु एक बार में रू 3.00 करोड़ (तीन करोड़) की सीमा तक'' निर्धारित की गई थीं। *शासनादेश संख्या– 57/XXVII(7)22-36/2010-11, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 01 एवं 02 की क्रय सीमाओं को पूर्व के रू 3.00 करोड़ से बढ़ाकर रू 5.00 करोड़ किया गया। इसमें अग्रेत्तर नए प्राधिकारियों को निम्न परिसीमा के साथ जोड़ा गया– क्रमांक 03 (प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, परिसीमायें– औषधि क्रय हेतु एक बार में रू 3.00 करोड़ की सीमा तक') एवं 04 (मुख्य चिकित्साधिकारी/राजकीय चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, परिसीमाऐं औषधि क्रय हेतु एक बार में रू0 5.00 लाख की सीमा तक) तथा अभ्युक्ति स्तम्भ में वाक्य को जोड़ा गया। **शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा नये प्राधिकारियों को इसमें जोड़ा गया तथा पूर्व के क्रमांकों को भी संशोधित किया गया। अब क्रमांक 01 पर प्रशासकीय विभाग, क्रमांक 2 (**iii**) पर निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाऐं, क्रमांक 02 (**iv**) पर निदेशक, हौम्योपैथिक, क्रमांक 4(**ii**) पर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा क्रमांक 4(**iii**) पर जिला हौम्येपैथिक मेडिकल अधिकारी को जोड़ा गया है।			
	(viii) विभागीय विशिष्ट सामग्रियों का क्रय ।	पुलिस महानिदेशक	सामग्री क्रय हेतु एक बार में रू0 25,00,000	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में

			(पच्चीस लाख) की सीमा तक।	उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
	(ix) विभाग के लिये सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्यय, जिसके लिए अन्यत्र कोई विशिष्ट प्रतिनिधायन नहीं किया गया हो, रवीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार।
		2–विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	आवर्तक–प्रत्येक मामले में 1,000 रूपये (एक हजार) तक अनावर्तक–प्रत्येक मामले में रूपये 10,000 (दस हजार) तक	
	(x) नीलामकर्ताओं को जहां उनकी सेवाएं लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2–विभागाध्यक्ष	*पूर्ण अधिकार	

वर्ष 2018 की मूल नियमावली में विभागाध्यक्ष के ''अधिकार की परिसीमायें'' इस प्रकार निर्धारित थीं– ''उनके द्वारा बिक्री की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत की अनधिक दर तक, किन्तु नीलामकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।''

*शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को ''पूर्ण अधिकार'' कर दिया गया।

	(xi) परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यो के लिये निर्धारित दरों पर भुगतान।	कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित दरों पर।
*2.	(i) ~~किसी शासकीय आयोजन/सेमीनार/मेलों और प्रदर्शनी के सम्बन्ध में ली गयी नावों, साइकिलों और स्थानों को किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।~~ किसी शासकीय आयोजन/सेमीनार/मेलों और प्रदर्शनी के सम्बन्ध में स्थानों और टेन्ट, नावों, मोटर बोट, साइकिलों आदि को	1. गृह विभाग	पूर्ण अधिकार	–
		2. विभागाध्यक्ष	एक वर्ष में रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) की सीमा तक, बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रू0 2.5 लाख की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो।

	किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	3. पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक, बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में रू0 1.5 लाख की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियों अपेक्षित न हो।
		4. उप पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक, बजट की उपलब्धता के अंतर्गत ।	प्रत्येक आयोजन में रू0 1,00,000 (एक लाख) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो।
		5. पुलिस अधीक्षक	एक वर्ष में रू0 2,00,000 (रू0 दो लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्ध्ता के अंतर्गत ।	प्रत्येक आयोजन में रू0 50,000 (रू0 पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हो।

*****शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा–
''अधिकार का प्रकार'' स्तम्भ में अंकित पैराग्राफ की भाषा में संशोधन किया गया, यहां पूर्व अंकित भाषा को बतलाने के लिए उसे लाल स्याही से लिखकर काट दिया गया है और वर्तमान प्रभावी पैराग्राफ को पीले रंग से अंकित कर दिया गया है

तथा

परिसीमाओं में वृद्धि की गई– विभागाध्यक्ष (परिसीमा रू 5 लाख से बढ़कार रू0 25 लाख), पुलिस महानिरीक्षक (परिसीमा रू0 5 लाख से बढ़ाकर रू0 10 लाख की गयी), उप पुलिस महानिरीक्षक (परिसीमा रू0 1 लाख से बढ़ाकर रू0 5 लाख) तथा पुलिस अधीक्षक (परिसीमा रू0 50,000 से बढ़ाकर रू0 2 लाख) की गयी। अभ्युक्ति स्तम्भ में भी संशोधन किया गया।

	(ii) पुलिस के कार्यों के लिये बसों अथवा परिवहन के अन्य विशेष साधनों का किराया स्वीकृत करना।	1. उप पुलिस महानिरीक्षक	पूर्ण अधिकार	आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
3.	किसी शासकीय आयोजन/सेमिनार/मेलों व प्रदर्शनियों के लिए व्यय स्वीकृत करना जिसमें परिवहन व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता,	1– प्रशासनिक विभाग	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अन्तर्गत।
		2– विभागाध्यक्ष	*पूर्ण अधिकार	

	आकस्मिक व्यय इत्यादि सम्मिलित है।			
***शासनादेश संख्या– 57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर ''पूर्ण अधिकार'' किया गया। अधिकार के प्रकार में प्रारम्भ में निम्न शब्द जोड़े गए– ''किसी शासकीय आयोजन/सेमिनार''।				
4.	1. पुलिस हिरासत में बन्द अभियुक्तों के इलाज के लिये गैर–सरकारी चिकित्सकों को शुल्क का भुगतान स्वीकृत करना।	पुलिस अधीक्षक	पूर्ण अधिकार	भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स–रे/एम.आर. आई/सी0टी0 स्कैन अथवा अन्य टेस्ट अथवा मांगा गया शुल्क उचित है।
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा पुलिस अधीक्षक की परिसीमा को रू0 1.00 लाख से बढ़ाकर ''पूर्ण अधिकार'' किया गया।				
	2. अधीनस्थ पुलिस के ऐसे किसी सदस्य की एक्स–रे परीक्षा/एम. आर.आई. और विशेषज्ञ चिकित्सा, जिसे अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में चोट लगी हो और पुलिस की ओर से किसी गैर सरकारी व्यक्ति की एक्स–रे/एम. आर.आई. चिकित्सा आवश्यक हो।	पुलिस अधीक्षक	पूर्ण अधिकार	भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स–रे/एम.आर. आई परीक्षा अथवा मांगा गया शुल्क उचित है।
	3. कारागार में बन्दयों (सुरक्षा बन्दियों को छोड़कर) की आँखों अथवा दाँतों की चिकित्सा के लिए डाक्टर की फीस, चश्मों तथा कृत्रिम दांतों आदि का कय स्वीकृत करना।	कारागार महानिदेशक	पूर्ण अधिकार	निम्नलिखित शर्तों के अधीन– 1. किसी एक मामले में शुल्क की धनराशि प्रति निरीक्षण उस धनराशि से अधिक

				न हो जो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उचित बतायी जाय। 2. प्रत्येक मामले में आय–व्ययक में प्राविधानित सीमा तक । टिप्पणी– एक अर्द्धावार्षिक विवरण पत्र, जिसमें उन मामलों के पूरे ब्यौरे दिये गये हों, जिनके लिए ऐसा व्यय स्वीकृत किया गया हो, शासन को प्रस्तुत करना चाहिए।
5.	(1) भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री, विदेशी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, मुख्यमंत्री के आगमन के समय सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय स्वीकृत करना।	(क) पुलिस महानिदेशक	पूर्ण अधिकार	व्यय केवल निम्नलिखित मदों पर किया जायेगाः 1–मंच और बल्लियों आदि बॉधकर बेरीकेड्स की व्यवस्था । 2. परिवहन का किराया । 3–पब्लिक एड्रेस सिस्टम । 4–तम्बुओं, बिस्तरों और दरियों का किराया। 5–फर्नीचर का किराया। 6–विद्युत उपकरण लगाने तथा फिटिंग का किराया। 7–अस्थायी टेलीफोन पर व्यय ।
		(ख) पुलिस महानिरीक्षक	रूपये 5,00,000 (पांच लाख) की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष	
		(ग) पुलिस अधीक्षक	रूपये 2,00,000 (दो लाख) की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष	

				8–पेट्रोल तथा मोबिल आयल पर व्यय । 9–हैलीपेड का निर्माण। 10–सभास्थल तथा आसपास के स्थान को समतल करने पर व्यय 11–गेस्ट पास/ प्रवेश पास/ डयूटी कार्ड/कार पार्किंग पास/अन्य आदेश पत्रों की छपाई पर व्यय। 12–टेलीफोन को चालू रखने की व्यवस्था पर व्यय । 13–भीड़ को रोकने के लिए रस्सों पर व्यय। 14–एप्रोच मार्ग के निर्माण पर व्यय । 15–सेफ हाउस के निर्माण पर होने वाला व्यय।
	(2) भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री, विदेशी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री के उत्तराखण्ड के प्रत्येक दौरे के अवसर पर उनके तथा उनके दल के भोजनादि तथा ऐसी प्रकीर्ण मदें जिन पर व्यय का वहन पुलिस बजट से प्राधिकृत नहीं है, की व्यवस्था।	प्रोटोकाल विभाग/ जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	शासन के प्रशासकीय विभाग की कार्योत्तर स्वीकृति आवश्यक होगी।
6.	विशेष आकस्मिक व्यय की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यय, जब वे साम्प्रदायिक दंगों, हड़ताल और	पुलिस महानिदेशक पुलिस उप महानिरीक्षक	पूर्ण अधिकार एक वर्ष में रू0 1,00,000 (रू0	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार, बजट

	इसी प्रकार के अन्य उपद्रवों के सम्बन्ध में किये गये हो, स्वीकृत करना।		एक लाख) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात् किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू0 50,000 (रू0 पचास हजार) की सीमा तक।	की सीमा के अन्तर्गत।
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा पुलिस महानिदेशक को परिसीमा ''पूर्ण अधिकार'' के साथ जोड़ा गया तथा पुलिस उप महानिरीक्षक की परिसीमा को एक वर्ष में रू0 50,000 एवं एक अवसर पर रू0 10,000 को बढ़ाकर एक वर्ष में रू0 1.00 लाख और किसी एक अवसर पर रू0 50,000 किया गया।				
7.	भ्रष्टाचार निवारण कार्यों के सम्बन्ध में विशेष आकस्मिक व्यय के रूप में व्यय करना।	उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण विभाग	एक वर्ष में रूपये 50,000 (पचास हजार) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर पर रू० 5000/– (पांच हजार) की सीमा तक बजट उपलब्धता के अंतर्गत	–
8.	बाढ़ और अन्य आपदाओं के सम्बन्ध में राहत व बचाव कार्यों हेतु सामग्री/व्यवस्थाएं यथा नाव, साइकिल और स्थान/तंबू आदि का किराया तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	–
9.	जिला चुनाव अधिकारियों के लिए अपेक्षित फर्नीचर की वस्तुएं, साइकिलों और अन्य वस्तुओं/ व्यवस्थाओं का किराया अथ्वा उनकी खरीद स्वीकृत करना।	जिला चुनाव अधिकारी	पूर्ण अधिकार	मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों, अनुमन्यता एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार।

10.	विलम्ब (डेमरेज/वारफेज चार्जेज) पर व्यय स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	परन्तु 20,000 रूपयें (बीस हजार) से अधिक के प्राप्त मामले में प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा। परन्तु 10,000 रूपयें (दस हजार) से अधिक के प्राप्त मामले में विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
11.	शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि जैसे अवसरों के सम्बन्ध में आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक अवसर पर रू० 10,000 (दस हजार)	परन्तु 10,000 रूपयें (दस हजार) से अधिक के मामले में विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12.	प्रदेश में आतंकी/साम्प्रदायिक दंगों/प्राकृतिक/दैवीय आपदा से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिनके जान–माल को गम्भीर हानि पहुँची है, पुनर्वासित करने हेतु, बजट प्राविधान के अन्तर्गत सहायतार्थ दी जाने वाली राहत की धनराशि, निम्न रूप में स्वीकृत करना– (1) प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को। (2) स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं।। (3) अस्थायी रूप से अपंग हो गये प्रत्येक व्यक्ति को।	1. सचिव, गृह/आपदा	पूर्ण अधिकार	शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार, स्वीकृत बजट की सीमा के अन्तर्गत।

	(4) सांघातिक चोट के परिणाम स्वरूप घायल, व्यक्ति को जो ऊपर (3) में अपंग की परिभाषा में न आता हो। (5) चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में। (6) अचल सम्पत्ति को हुई क्षति की स्थिति में।			
		*2. जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	
*शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा जिलाधिकारी को इसमें जोड़ा गया है।				
13.	वर्कमेन्स कम्पेन्शेसन एक्ट के अधीन दिये गये मुआवजे का भुगतान स्वीकृत करना।	ऐसे समस्त विभागाध्यक्ष जो राजकीय निर्माणशालाओं, कार्यालयों इत्यादि के, जिन पर वर्कमेन्स कम्पेन्शेसन एक्ट लागू होता है, प्रभारी अधिकारी हैं।	पूर्ण अधिकार	तथापि मुआवजा का भुगतान सदैव मुआवजा अधिकार के माध्यम से फिया जायेगा।
14.	भारत में चिकित्सा परीक्षण सामग्री खरीदना।	रसायनिक परीक्षक	पूर्ण अधिकार	–
15.	निरूद्ध व्यक्तियों अथवा सुरक्षा बंदियों के परिवारों अथवा आश्रितों को उनके निरूद्ध अथवा सुरक्षा बंदियों के निरोध की अवधि में वित्त विभाग को पूर्व संदर्भ किये बिना भरण भत्ता (मेन्टेनेन्स एलाउन्स) स्वीकृत करना।	सचिवालय का गृह (कारागार) विभाग	पूर्ण अधिकार	–
16.	राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों (स्टेट ओन्ड अन्डरटेकिंग) के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन पर इम्पालाइज स्टेट इंश्योरेन्स एण्ड इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट लागू होते है, किन्तु जो इन अधिनियमों के उपबन्धों से मुक्त नहीं किये गये है, कर्मचारियों को अंशदान और प्रशासकीय व्यय स्वीकृत करना।.	राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों के प्रभारी अधिकारी	पूर्ण अधिकार	–
17.	पुलिस कार्मिकों की सुविधाओं हेतु गैर सरकारी व्यक्तियों, निकायों	सचिवालय का गृह (पुलिस) विभाग	पूर्ण अधिकार	इस शर्त के साथ कि गैर सरकारी

	संस्थाओं द्वारा दिये गये धन को ग्रहण करने और इस प्रयोजन हेतु उसके बराबर (अथवा कम) धनराशि व्यय करने की स्वीकृति देना।			पक्षों द्वारा जमा की गयी धनराशि के बराबर प्राविधान आय–व्ययक में किया गया हो।
18.	भारत सरकार/सेना द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में, चाहे वे राज्य के अन्दर हो अथवा बाहर, किन्तु भारत के अन्दर हो, के मानकित शर्तों (स्टैण्डर्ड टर्म्स) अनुसार अराजपत्रित कार्मिकों का प्रशिक्षण स्वीकृत करना।	प्रशासनिक प्रभाग	पूर्ण अधिकार	–
19.	शजरा और खसरा के लिये अनुमान स्वीकृत करना।	1. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग	पूर्ण अधिकार	–
		2. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	पूर्ण अधिकार	
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा अधिशासी अभियंता की परिसीमा को रू0 5.000 से बढ़ाकर "पूर्ण अधिकार" किया गया। वर्ष 2018 की मूल नियमावली में क्रमांक 2 पर "अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग" अंकित था और 25 मार्च, 2022 के शासनादेश में इसे "अधिशासी अभियंता" अंकित किया गया है।				
20.	अधीनस्थ कर्मचारियों को वर्दी तथा गर्म कपड़ों की सप्लाई स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	शातन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरें एवं मानकों के अधीन
		कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
पुस्तकें, समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन				
21.	अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकायें, नक्शे एवं अन्य प्रकाशन का क्रय।	1. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	–
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		2. कार्यालयाध्यक्ष	एक वर्ष में रू 15,000 (रू पंद्रह हजार) तक (गैर तकनीकी पत्रिकाओं को छोड़कर)	
22.	शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ व उनके पुस्तकालयों हेतु कक्षा शिक्षण पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें खरीदना			

	(क) सन्दर्भ पुस्तकें (ख) अन्य प्रकाशन	उच्च शिक्षा महाविद्यालयों/मेडिकल कॉलेज/इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य/समस्त राजकीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	पूर्ण अधिकार	एक बार में रू0 20,000 (रू० बीस हजार) से अधिक मूल्य की पुस्तकों के क्रय हेतु एक्सपर्ट कमेटी की संस्तुति ली जानी अनिवार्य होगी। विभागीय आवश्यकता एवं मानक के अधीन ।
विज्ञापन व्यय				
23.	(क) विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन।
	(ख) निर्माण कार्यों/अधिप्राप्ति कार्यों विषयक सूचना प्रकाशित कराने के लिए निविदा सूचना स्थानीय पत्रों में देने हेतु।	कार्यालयाध्यक्ष	किसी एक मामले में रू० 20,000 (रू० बीस हजार) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के कार्य का विज्ञापन आवश्यक हो।	विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन।
24.	निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजीयत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्यों जैसे (नक्शे, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	1. प्रशासनिक विभाग	पूर्ण अधिकार	अधिकारों का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जाएगा। अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा। अधिप्राप्ति नियमावली का
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 50,000 (रू0 पचास हजार) तक	

				पालन व बजट सीमान्तर्गत
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 20.000 से बढ़ाकर ''पूर्ण अधिकार'' तथा कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 10,000 से बढ़ाकर रू0 50,000 किया गया ।				
25.	निर्वाचन (जनरल इलेक्शन्स), द्विवर्षीय निर्वाचन और उप निर्वाचन तथा मतदाता सूचियों में वार्षिक संशोधन से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री स्थानीय रूप से मुद्रण स्वीकृत कराना।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पूर्ण अधिकार	अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अन्तर्गत
वर्ष 2018 की मूल नियमावली के अभ्युक्ति स्तम्भ में निम्न वाक्य अंकित था– ''किन्तु शर्त यह है कि– 1. निदेशक, मुद्रण तथा लेखन समाग्री प्रपत्रों को तथा अन्य सामग्री को छापने की स्थिति में न हो। 2. निविदा आमन्त्रित की गयी हो। यह शर्त पूर्व में वर्ष 2018 में प्रख्यापित नियम संग्रह में अंकित थी।'' शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा अभ्युक्ति स्तम्भ में पूर्व अंकित वाक्य के स्थान पर उपरोक्त वाक्य प्रतिस्थापित किया गया।				
अभियंत्रण विभागों के निर्माण कार्य सम्बन्धी विज्ञापन				
26.	रू0 75,00,000/– (रू० पचहत्तर लाख) तक के निर्माण कार्यों के अल्पकालीन सूचना प्रकाशित कराने के लिये निविदा सूचना समाचार पत्रों में देने हेतु।	प्रभागीय अधिकारी/ अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु सिंचाई।	किसी एक मामले में रू० 20000 (रू० बीस हजार) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो।	–
27.	किसी विशिष्ट कार्य के लिए वाहय व्यावसायिक विशेषज्ञ, परामर्श देने वाली फर्मों आदि की सेवायें की स्वीकृति प्रदान करना	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजटीय सीमान्तर्गत
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) तक	
	*शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नए कमांक 27 को जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत परिसीमायें निम्नानुसार निर्धारित की गयी– प्रशासकीय विभाग– पूर्ण अधिकार, विभागाध्यक्ष– रू0 10.00 लाख तथा कार्यालयाध्यक्ष रू0 5.00 लाख			

	शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 10.00 से बढ़ाकर रू0 25.00 लाख कर दिया गया			
28.	वेब सर्विसेस, मोबाईल एप, वेबसाईट/पोर्टल डेवलपमेंट एवं इनका वार्षिक अनुरक्षण/साफ्टवेयर का लाईसेंस शुल्क	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजटीय सीमान्तर्गत
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 25, 00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) तक	
*शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा नए क्रमांक 28 को जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत परिसीमायें निम्नानुसार निर्धारित की गयी– प्रशासकीय विभाग– पूर्ण अधिकार, विभागाध्यक्ष– रू0 10.00 लाख तथा कार्यालयाध्यक्ष रू0 5.00 लाख शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा ''अधिकार का प्रकार'' स्तम्भ में ''साफ्टवेयर का लाईसेंस शुल्क'' शब्दों को जोड़ा गया तथा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 10.00 से बढ़ाकर रू0 25.00 लाख कर दिया गया।				

नोट :– प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।

विवरण पत्र–2
भूमि, भवन और किराया

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	(क) राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का विक्रय स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
		2–विभागाध्यक्ष	रू0 1,00,00,000 (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक	
	(ख) राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का विध्वंस स्वीकृत करना	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2–विभागाध्यक्ष	रू0 1,00,00,000 (रू0 एक करोड़) खाते तक मूल्य	
		3– जिलाधिकारी	रू0 1.00 करोड़ खाते मूल्य तक, विभागाध्यक्ष को सूचित करते हुए	
	शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू0 50.00 लाख किया गया। शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा क्रमांक 1 को दो खण्डों (क) एवं (ख) में विभाजित किया गया तथा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 50.00 लाख से बढ़ाकर रू0 1.00 करोड़ किया गया तथा जिलाधिकारी को इसमें जोड़ा गया है।			
2.	अनावासिक प्रयोजनों हेतु किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना। (गोदामों को छोड़कर)	विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	निम्नलिखित शर्तों के अधीनः– 1– रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध नहीं हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित

				किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो। 2– जहां भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संख्या–सी–2299/दस–एच–639–61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ठ ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं में अधिक नहीं होना चाहिए। टिप्पणी–1. सरकारी कार्यालय के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। i. कार्यालय हेतु कार्मिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित मानक पर स्थान (Accomodation) की आवश्यकता का आंकलन पहले कर लिया जाये। ii. सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर लेने के लिए स्थल चयन में उन इलाकों को वरीयता दी जाय जो कॉस्ट इफेक्टिव (Cost Effective) एवं मितव्ययी हो। यह प्रयास किया जाय कि नगर के व्यावसायिक केंद्रों (Commercial Hubs) जहां पर किराये की दरें अधिक होती है वहां पर भवन किराये पर लिये जाने से बचा जाये। उक्त स्थानों पर सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर तभी लिये जायं जब इसका पर्याप्त आधार एवं औचित्य हो।. iii. ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि से बाहर हैं, को किराये पर लेने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले दो प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराया जाय। iv– विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा, जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी। कमेटी

				द्वारा चयनित भवन के लिए जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। इसके दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया औचित्य के आधार पर कमेटी की संस्तुति पर प्रतिनिधायन की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेगा। –जिलाधिकारी द्वारा भवन किराया का औचित्य प्रमाण पत्र मुख्यतः भवन की लोकेशन, भवन की स्थिति, मुख्य मार्ग से भवन की दूरी, कार पार्किंग व भवन का कारपेट एरिया के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। टिप्पणी– कारपेट एरिया का तात्पर्य भवन के फ्लोर एरिया से है, जिसमें किचन, बाथरूम, बरामदा, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसस के एरिया फ्लोर एरिया में शामिल हैं, परन्तु किचन, बाथरूप, बरामदा, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसस व फ्लोर का एरिया कुल कारपेट एरिया के 25**%** से अधिक न हो। जिलाधिकारी द्वारा मकान किराया का औचित्य प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व यह भी अवश्य देखा जाए कि किराये पर लिये जाने वाले भवन के आसपास रजिस्टर्ड लीज पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भवन किराये पर लिये गये हैं उनमें किराये की क्या स्थिति है। चूंकि राज्य सरकार के कार्यालयों हेतु लिये जाने वाले किराये के भवन के लिए राज्य सरकार एक सिक्योर्ड एन्टिटी है तथा इसमें भवन स्वामी का किराये का एवं अन्य कोई जोखिम निहित नहीं होता है, अतः इस फैक्टर को भी दृष्टिगत रखते हुए किराये पर लिये जाने वाले भवनों का किराया औचित्य प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए। 3. किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर तथा किसी भी अन्य अधिकारी

				द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एरिया/नोडिफाईड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर की अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, पन्तु किराया का औचित्य प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए परगनाधिकारी अधिकृत होंगे। टिप्पणी–2 सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं उन भवनों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगीः– सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये जो भवन उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अंतर्गत आ गये हैं, यदि उनका किराया बढ़ाने की मांग मकान मालिक द्वारा की जाती है तो उसे इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा–21 (8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला अधिकारी मकान मालिक के आवेदन पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किन्तु अग्रेत्तर वृद्धि करने के लिए इस प्रसार का आवेदन पत्र वृद्धि के अंतिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्त तय हो चुकी हो तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि संभव नहीं होगी।

3.	पट्टे पर ली जाने वाली भूमि के किराया स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए पूर्ण पारदर्शिता से। (शासनादेश संख्या–ए–2–930/दस–84–14(30)/73, दिनांक 28 फरवरी, 1984)
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा इसमें विभागाध्यक्ष को जोड़ा गया।				
4.	गैर–आवासिक भवनों की जिनकी सरकारी प्रयोग के लिए आवश्यकता न हो, किराये पर देना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।
5.	भवनों के निर्माण के लिये चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सूखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना ।	1–अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबंध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाय।
		2–अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लघु सिचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार	
वर्ष 2018 में क्रमांक 2 के अधिकारियों की परिसीमा इस प्रकार थी– "रू० 25,000 पच्चीरा हजार) तक। इस प्रतिबंध के साथ जाय कि वन तथा उद्यान विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।" शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 2 के प्राधिकारियों की परिसीमा को रू0 25,000 से बढ़ाकर " पूर्ण अधिकार" किया गया।				
6.	गोदामों का किराया	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई शर्तों के अधीन। पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन। किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा।

		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	निम्नलिखित शर्तों के अधीन :– 1– रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का गोदाम किराये पर उपलब्ध नहीं हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो। टिप्पणी–1. गोदाम के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। i. गोदाम हेतु भवन किराये पर लेने के लिए स्थल चयन में उन इलाकों को वरीयता दी जाय जो कॉस्ट इफेक्टिव (Cost Effective) एवं मितव्ययी हो। यह प्रयास किया जाय कि नगर के व्यावसायिक केंद्रों (Commercial Hubs) जहां पर किराये की दरें अधिक होती है वहां पर गोदाम किराये पर लिये जाने से बचा जाये। उक्त स्थानों पर गोदाम किराये पर तभी लिये जायें जब इसका पर्याप्त आधार एवं औचित्य हो। ii. ऐसे गोदाम जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि से बाहर हैं, को किराये पर लेने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले दो प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में कार्यालय प्रयोजन हेतु गोदाम की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराया जाय। iii– विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा, जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करके एवं उपलब्ध गोदामों का निरीक्षण करके उपयुक्त गोदाम का चयन करेगी। कमेटी द्वारा चयनित गोदाम के लिए जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। इसके दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा गोदाम का किराया औचित्य

				के आधार पर कमेटी की संस्तुति पर प्रतिनिधायन की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेगा। जिलाधिकारी द्वारा गोदाम किराया का औचित्य प्रमाण पत्र मुख्यतः गोदाम की लोकेशन, स्थिति, सड़क से गोदाम की दूरी आदि को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। गोदाम किराया का औचित्य प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व यह भी अवश्य देखा जाए कि किराये पर लिये जाने वाले गोदाम के आसपास रजिस्टर्ड लीज पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो गोदाम किराये पर लिये गये हैं उनमें किराये की क्या स्थिति है। चूंकि लिये जाने वाले किराये के गोदाम के लिए राज्य सरकार एक सिक्योर्ड एन्टिटी है तथा इसमें भवन स्वामी का किराये का एवं अन्य कोई जोखिम निहित नहीं होता है, अतः इस फैक्टर को भी दृष्टिगत रखते हुए किराये पर लिये जाने वाले गोदाम का किराया औचित्य प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए। 2. किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल अफिसर तथा किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एरिया / नोटिफाईड एरिया / ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर की अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराया का औचित्य प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए परगनाधिकारी अधिकृत होंगे। टिप्पणी–2 जो गोदाम रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ गये हैं उन गोदामों के किराये में वृद्धि के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगीः– जो गोदाम 'उ०प्र० शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अंतर्गत आ गये हैं, यदि उनका किराया बढ़ाने की

				मांग मकान मालिक द्वारा की जाती है ते उसे इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा–21 (8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला अधिकारी मकान मालिक के आवेदन पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किन्तु अग्रेत्तर वृद्धि करने के लिए इस प्रसार का आवेदन पत्र वृद्धि के अंतिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्तें तय हो चुकी हों तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि संभव नहीं होगी।
		*3.जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार (खाद्यान्न गोदामों हेतु	
		4. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 50,000 (रू0 पचास हजार) प्रतिमाह तक	टाउन एरिया/नोटिफाइड एरिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए परगना अधिकारी अधिकृत होंगे।
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 20,000 से बढ़ाकर '' पूर्ण अधिकार'' तथा कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 5,000 से बढ़ाकर रू0 50,000 किया गया। *शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा जिलाधिकारी को जोड़ा गया एवं परिसीमा ''पूर्ण अधिकार'' (खाद्यान्न गोदामों हेतु) निर्धारित की गयी है।				
7.	राजस्व के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को भूमि हस्तान्तरित करना।	जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार, निम्ननिखित शर्तों के अधीन– 1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिए किया जायेगा। इन	शा०सं० ए–2–75/दस–77–14(4)/74, दिनांक 03 फरवरी, 1977

			मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो, वह एक अनुमोदित परियोजना हो, और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि हस्तान्तरण किया जाये जितनी कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो। 3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो। 4. यदि भूमि विभाग की ''रक्षित वन भूमि'' हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी ''रक्षित वन भूमि'' के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों को कोई आपत्ति न	

			हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाये। 5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग रो हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा। 6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग में पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित	

			कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।	

नोट :– प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।

विवरण पत्र–3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
*1.	क– मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI तथा विभिन्न शासनादेशें के अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अधीन। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अन्तर्गत।
		2–विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त)	धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासिक भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोड़कर, किसी एक मामले में रू0 40,00,000 (रू0 चालीस लाख) तक, निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अधीन–	
			(1) यह है कि आवासिक भवन शासन द्वारा समय–समय पर नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।	
			(2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय तथा फिटिंग्स की मात्रा फंडामेंण्टल/सब्सीडियरी रूल्स तथा तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा के अनुसार होनी चाहिए।	
			(3) आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जो अनुमादित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हों।	
			(4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अंतर्गत न आते हों।	
			(5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलों से निकटता के सिद्धान्त को दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">*शासनादेश संख्या– 57/XXVII(7)22-36/2010-11, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा किए गए संशोधन–
1. स्तम्भ 3 ''किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा'' में पूर्व अंकित शब्दों ''विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त)'' के स्थान पर शब्द ''विभागाध्यक्ष'' रखा गया।
2. विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू0 40.00 लाख किया गया।
3. परिसीमाओं से संबंधित स्तम्भ में पूर्व के निम्न वाक्यों को विलोपित किया गया–
– क्रमांक 1 में ''स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या''
–क्रमांक 3 में अनुमान में ''स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो योजना के अनुरक्षण के लिये, जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिये अनुमन्य हो।''
–क्रमांक 6 को पूर्णतया विलोपित कर दिया गया। इसमें पूर्व अंकित वाक्य था– ''गाड़ियों के लिए (हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और क्रय के लिये आदेश देने से पहले मुख्यमंत्री जी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।''
4. क्रमांक 3 में वर्तमान नए वाक्य को रखा गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">ख– वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना</td><td>1–प्रशासनिक प्रभाग</td><td>आय–व्ययक प्राविधान के अंतर्गत पूर्ण अधिकार</td><td rowspan="2">आय–व्ययक प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत</td></tr>
<tr><td>2–विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभागों के अतिरिक्त)</td><td>आय–व्यय प्राविधान के अंतर्गत प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।</td></tr>
<tr><td colspan="5">शासनादेश संख्या– 57/XXVII(7)22-36/2010-11, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 1.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख किया गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">ग– मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।</td><td>प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग।</td><td>– उपर्युक्त 1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 7.00 करोड़ (रु० सात करोड़) तक।</td><td>–</td></tr>
<tr><td>मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग</td><td>उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 5.00 करोड़ (रू० पांच करोड़) तक।</td><td>–</td></tr>
<tr><td>अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग</td><td>उपर्युक्त 1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0 2.00 करोड़ (रु० दो करोड़) तक।</td><td>–</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मूल निर्माण कार्य और विस्तार अथवा किसी उच्चतर</td><td>1– मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग</td><td>1–निम्नलिखित मामलों में रू0 2.5 करोड (रु० दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।</td><td>–</td></tr>
</table>

	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मूल सहायक निर्माण कार्यों के लिए सामान्य परियोजना संबंधी ब्यौरेवार अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।			
			(1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल–मार्गों के, जिनका जल–निस्तारण शीर्ष पर 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदी नियंत्रण के शीर्ष कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(2) ऐसे वर्तमान जल–मार्गों के जिनका जल–निस्तारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(3) ऐसे जल–मार्गों के निकट, जिनका जल–निस्तारण शीर्ष पर 1.000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनाई सम्बन्धी निर्माण कार्य (masonry work) निर्माण कार्यों के परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(4) किसी ऐसे जल–मार्ग के जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, लम्बकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(5) ऐसी वर्तमान जलमार्ग प्रणालियों में परिवर्तित, जिनमें वर्तमान जल मार्गों की प्राधिकृत जल निस्तारण में वृद्धि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जल मार्गों का निर्माण जिनसे नहर के प्राधिकृत जल–निस्तारण में वृद्धि करने की आवश्यकता हो।	
			(6) किसी डाक बंगले, आवस अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रू० 10,000 (रू० दस हजार) से अधिक हो। टिप्पणी :– मुख्य अभियन्त / अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृति करने के लिये सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह अनुमानों को खण्डों में स्वीकृति नहीं करेगा, जिसके एक साथ	

			होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो।	
		2– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग	रू० 1 करोड़ (रू० एक करोड़) की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन।	–
3.	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/अनुपूरक अनुमानों / पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो०नि० वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	पूर्ण अधिकार	***उक्त अधिकार को विलोपित कर दिया गया है।
		2. अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल) लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग	रू0 2.5 करोड़ (रू० दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक	
		3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो० नि०वि०, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू० 1 करोड़ (रू० एक करोड़) की सीमा तक	
		4. अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग	रू० 1 करोड़ (रू० एक करोड़) की सीमा तक	
		5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 20,00,000 (रू0 बीस लाख) की सीमा तक	

*शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा क्रमांक 3 की परिसीमाओं को रू0 40.00 लाख से बढ़ाकर रू0 50.00 लाख तथा क्रमांक 5 की परिसीमा को रू0 8.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख किया गया

शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 3 के प्राधिकारियों की परिसीमा को रू0 50.00 लाख से बढ़ाकर 1.00 करोड़ तथा क्रमांक 5 के प्राधिकारियों की परिसीमा को रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू0 20.00 लाख किया गया।

***शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा इस क्रमांक को विलोपित कर दिया गया है तथा अभ्युक्ति स्तम्भ में निम्न वाक्य जोड़ा गया है– " यदि किसी निर्माण कार्य में प्राविधिक स्वीकृति की आवश्यकता है तो विभाग द्वारा प्राविधिक स्वीकृति की कार्यवाही आगणन की टी0ए0सी0 से पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी, इस हेतु विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अन्तर्गत सीमाओं / प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते

हैं, अन्यथा की स्थिति में विभाग प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे कि कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् प्राविधिक स्वीकृति (टी0एस0) की आवश्यकता नहीं है।''				
4.	स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्ययाधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1– प्रशासकीय विभाग (लो0नि0वि0 / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई)	15 प्रतिशत से अधिक। (वित्त विभाग की सहमति से)	बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्ययाधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय।
		2– मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक।	बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्ययाधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय।
		3– अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।	बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्ययाधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय।
		4– अधिशासी अभियंता, (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि० तथा अधिशासी सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक। निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति का अधिकारः– 1– व्ययाधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया संबंधित हो। 2– व्ययाधिक्य के समायोजन के लिए बजट प्राविधान में बचत उपलब्ध हो। 3– व्ययाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा, और यदि उसके बाद भी व्ययाधिक्य होता	बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्ययाधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय

			है तो उसके लिये शासन के संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	
5.	स्वयं उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृत करना।	1— प्रशासकीय विभाग, लो0नि0विभाग, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।	15 प्रतिशत से अधिक। (वित्त विभाग की सहमति से)	बशर्ते मूल निर्माण कार्य इस प्रकार स्वीकृत किये जा रहे व्ययाधिक्य को जोड़ते हुए पूर्ण हो जाय
		2— मुख्य अभियन्ता, लो०नि०/ सिंचाई/ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक	
		3— अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।	
		4— अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक। उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति का अधिकारः— (1) स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ दी जा सकेगी कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है। (2) किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति पुनरीक्षित अनुमान को कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण को ऐसी उन्नत अवस्था में स्थिति हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना प्रायोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य—समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड—6 के प्रस्तर—398 के अधीन) कर दिया गया हो, कार्य समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों के समरूप ही होंगे। टिप्पणी :— (1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रू० 5000/— (रू० पांच हजार) की सीमा के अंदर अधिक व्यय भी स्वीकृत	

			अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 का प्रस्तर 398) (2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।	

6.	स्वीकृत अनुमानों में प्रासंगिक व्यय के लिये की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त / नये कार्य या मरम्मत के व्यय को पूरा करने के लिए परिवर्तित करना जिसके लिये अनुमान में कोई व्यवस्था न की गयी हो।	1–मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग।	1– पूर्ण अधिकार।	–
		2– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग।	2– रू0 2,00,000 (रू0 दो लाख) की सीमा तक।	–
		3– अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग।	3– रू0 1,00,000 (रू0 एक लाख) की सीमा तक।	–
		4–अभियन्ता, विद्युत / यांत्रिक, लोक निर्माण / सिंचाई / ग्रामीण निर्माण विभाग	4– रू0 25,000 (रू0 पच्चीस हजार) की सीमा तक	–
7.	विशेष मरम्मतें:– विशेष मरम्मतों के अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना ।	1– अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई / सिंचाई	1– पूर्ण अधिकार टिप्पणी :– यदि ऐसे मरम्मत से मुख्य नहर अथवा शाखा, जहां कुल जलापूर्ति 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, की डिजाइन में परिवर्तन होता हो अथवा यदि ऐसी मरम्मत से किसी जलमार्ग की पूर्ण जलापूर्ति निकासी में वृद्धि होती हो, तो मुख्य अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के अधीन।	–
		2– अधिशासी अभियन्ता (सिविल), व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता / ग्रामीण	2– प्रत्येक अनुमान के लिये रू0 5,00,000 (रू पांच लाख) तक आवासिक भवनों के मामलों को छोड़कर।	कार्यों को किसी भी परिस्थिति में टुकड़ों में विभाजित कर प्राविधिक स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

		निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।		
		3– अधिशासी अभियंता, (प्रभागीय अधिकारी) सिंचाई विभाग।	3– रू0 5,00,000 (रू० पांच लाख) की सीमा तक सिवाय सम्मुख अंकित मामलों के जिनमें अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति आवश्यक होगी:– 1– ऐसे निर्माण कार्यों अथवा मरम्मतों के लिए जिनमें 200 क्यूसेक से अधिक अथ्वा उससे कम जल ले जाने वाले जलमार्ग की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, प्रभागीय अधिकारी द्वारा अनुमान स्वीकृत करने से पूर्व अधीक्षण अभियंता की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। 2– नहरों, उसकी उप शाखाओं में दरार पड़ने के कारण नष्ट हुई फसल के लिए रूट 5000 (रू० पांच हजार) से अधिक का मुआवजा । 3– किसी डाक बंगले, रहने के. मकान अथवा कार्यालय की विशेष मम्मत जो रु० 5000 (पांच हजार) से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन में कोई परिवर्तन होता हो।	कार्यों को किसी भी परिस्थिति में टुकडों में विभाजित कर प्राविधिक स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
8.	गैर आवासिक भवनों में बिजली संबंधी निर्माण कार्य के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1– प्रशासकीय विभाग	1– पूर्ण अधिकार।	–
		2– मुख्य अभियंता, लो०नि०/सिंचाई / ग्रामीण निर्माण / लघु सिंचाई विभाग	2– रू0 01 करोड़ की सीमा तक।	–
		3– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत / यांत्रिक लो०नि०वि० तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई।	3– रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सोमा तक।	–
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 2 के अधिकारियों की परिसीमा को रू0 10.00 लाख से बढाकर 1.00 करोड़ तथा क्रमांक 3 की प्राधिकारियों की सीमा को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख किया गया।				

9.	भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1– अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार।	–
		2– अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि० विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	2– रू0 5,00,000 (रू० पांच लाख) की सीमा तक।	
10.	सूखा सहायता कार्यों के लिए प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई	1– पूर्ण अधिकार।	
		.2–अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लो0नि0विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	2– रू0 2.00 करोड (रू० दो करोड) की सीमा तक।	
		3– अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०विभाग, सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई	3– रू0 1.00 करोड (रू० एक करोड) की सीमा तक।	
11.	निक्षेप कार्यों के निष्पादन की स्वीकृति प्रदान करना।	विभागाध्यक्ष, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	पूर्ण अधिकार।	
12.	दरों की अनुसूची ("शिड्यूल आफ रेट्स") अनुमोदित करना।	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।	पूर्ण अधिकार।	शासनादेश/नियमों में विहित व्यवस्थानुसार।

नोट– प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।

विवरण पत्र–4

ठेके और टेण्डर

क्र0सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	(क) *छोटे निर्माण कार्यों तथा लघु निर्माण कार्यों (Minor works) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	(वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 20,00,000 (रू0 बीस लाख) तक।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामलें में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	
	पूर्व में शासनादेश संख्या– **61/XXVII(7)36/2017**, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा इस अधिकार अंतर्गत विभागाध्यक्ष की परिसीमाऐं रू0 50,000 तथा कार्यालयाध्यक्ष की रू0 15,000 निर्धारित की गयी थीं। तत्समय अधिकार का प्रकार था–''छोटे निर्माण कार्यों (पेटी वर्क्स) के निष्पादन''। शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख तथा कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 1.50 लाख से बढ़ाकर रू0 5.00 लाख किया गया। तथा कार्यालयाध्यक्ष के सम्मुख अंकित अभ्युक्ति ''–किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हों'' को हटा दिया गया है। ''अधिकार के प्रकार'' स्तम्भ में भी शब्दावली संबंधी परिवर्तन कर दिया गया जोकि वर्तमान में अंकित है। शासनादेश संख्या– **293/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमाओं में वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत पूर्व की परिसीमा क्रमशः रू 10 लाख से बढ़ाकर रू 20 लाख एवं रू 5 लाख से बढ़ाकर रू 10 लाख किया गया है।			
	ख) आउटसोर्सिंग से सफाई, सुरक्षा, माली, वाहन चालक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/टेक्नीशियन/केन्टीन/मेस (भोजन व्यवस्था), पलम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन आदि की व्यवस्था के लिये टेण्डर/ठेके स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति निमयावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामलें में रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामलें में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	

*शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा अधिकार के प्रकार में '' वाहन चालक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/टेक्नीशियन/केन्टीन/मेस (भोजन व्यवस्था), पलम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रशियन'' को जोड़ा गया है तथा वर्ष 2018 में प्रख्यापित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 में अंकित परिसीमा में इस प्रकार संशोधन किया गया है– विभागाध्यक्ष की रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू 25 लाख तथा कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 1.50 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख किया गया है।

2.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि की सीमा तक।
		2(क). अधीक्षण अभियन्ता लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई	पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 5.00 करोड़ (रु० पांच करोड़) से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	
		2(ख). अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, सिंचाई		
		2(ग). अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो० नि0 विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग		
		3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि०, अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ अधिशासी अभियंता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग	रु० 1.50 करोड़ (रु० एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) लघु सिंचाई विभाग।		
		5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, सिंचाई विभाग।		
		6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग।		

		7. सहायक अभियंता (सिविल), लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई	रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	
		8. मुख्य विद्युत निरीक्षक		
		9. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, सिंचाई विभाग ।		
		10. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लो0नि0वि0/ ग्रामीण निर्माण/लघु सिंचाई ।		

* वर्ष 2018 में प्रख्यापित नियमावली में उपरोक्त क्रमांक 2 के स्तम्भों– ''किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा'' एवं ''परिसीमायें'' के उप क्रमांक 1 में उपरोक्तानुरूप ही था, इन स्तम्भों के शेष उप क्रमांकों में प्रतिनिधायन इस प्रकार था–

2 (क) अधीक्षण अभियन्ता लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई	''पूर्ण अधिकार, परन्तु रू 2.00 करोड़ (रू दो करोड़) से अधिक के कार्य में मुख्य अभियंता से अनुमोदन आवश्यक होगा''
2 (ख) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो0नि0वि0	रू 35,00,000 (रू पैंतीस लाख) की सीमा तक
3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि०, अधिशासी अभियन्ता/ प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग	रू 75,00,000 (रू पैंतीस लाख) की सीमा तक
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू 40,00,000 (रू चालीस लाख) की सीमा तक
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग	रू 5,00,000 (रू पांच लाख) की सीमा तक
6. सहायक अभियंता, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई	रू 10,00,000 (रू दस लाख) की सीमा तक

शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा क्रमांक 2 (ख) में सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग को जोड़ा गया, क्रमांक 2(ख) की परिसीमा को 35.00 लाख से बढ़ाकर 50.00 लाख

क्रमांक 4 की परिसीमा को रू0 40.00 लाख से बढ़ाकर रू0 75.00 लाख क्रमांक 5 की परिसीमा को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख तथा क्रमांक 8 की परिसीमा को रू0 2.00 लाख से बढ़ाकर रू0 5.00 लाख किया गया। शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 2 (ख) के प्राधिकारियों की परिसीमा को रू0 50.00 लाख से बढ़ाकर 75.00 लाख तथा "अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग" की परिसीमा को रू0 10.00 लाख से बढ़ाकर रू0 20.00 लाख किया गया। ********शासनादेश संख्या– **149101/XXVII(7)/E-20109/2022**, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा उप क्रमांक 2 (क), 2 (ख) एवं 2 (ग) की परिसीमा को क्रमशः रू0 2.00 करोड़, शून्य एवं 75 लाख से बढ़ाकर इन सभी की रू0 5. 00 करोड, उप क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 की परिसीमा को क्रमशः रू0 75.00 लाख, शून्य, शून्य एवं रू 20 लाख से बढ़ाकर 1.50 करोड़ किया गया। इसके अतिरिक्त क्रमांक 8, 9 एवं 10 की परिसीमा को क्रमशः रू 5 लाख, शून्य एवं 5 लाख से बढ़ाकर रू 10 लाख किया गया। अभियुक्ति स्तम्भ में अंकित वाक्य को भी संशोधित किया गया।				
3.	मूल मरम्मतों और कार्य के समस्त मामलो में कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदारों को प्रतिभूति जमाओं की वापसी स्वीकृत करना।	1– अधिशासी अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि०, अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार	–
		2– उप प्रभागीय अधिकारी अथवा अनुभागों के प्रभारी/सहायक अभियंता।	2– ऐसे मामले में जहां कार्य की धनराशि, ठेके स्वीकार करने के उनके अधिकारों से अधिक न हो, वित्तीय नियमों के उपबन्धों के अधीन	
*4. **	***रू 5.00 लाख तक के कार्य कार्यादेश (वर्कऑर्डर) के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों से कराया जाना	अधिशासी अभियंता	रू 5,00,000/– (रू पांच लाख तक)	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक
*शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा विवरण पत्र 4 में यह नया क्रमांक 4 जोड़ा गया था और अधिकार का प्रकार था– "बिना निविदा आमंत्रित किए कार्यादेश (Work order) पर आधारित निर्माण कार्य"। उसमें अधिशासी अभियंता की परिसीमायें रू 2.50 लाख निर्धारित की गई थी। **शासनादेश संख्या– 149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा इसमें सहायक अभियंता को भी जोड़ा गया और यह क्रमांक निम्नानुसार स्थापित किया गया–				

4	बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य	1. अधिशासी अभियंता	रू 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) की सीमा तक
		2. सहायक अभियंता	रू 1.00 लख (रू एक लाख) की सीमा तक। अधिशासी अभियंता की पूर्व सहमति से।

****वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 234639**/XXVII(9)/02-**वि0अ0क0प्र0**/2024/**ई–7**6694**, दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा क्रमांक 4 के प्रावधान को संशोधित (संशोधन– 'अधिकार के प्रकार' स्तम्भ की शब्दावली तथा ''किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा'' एवं ''परिसीमाएं' स्तम्भ में हुआ है) कर दिया गया है।

*5.	केन्द्र पोषित योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	1. वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक। 2. केन्द्र पोषित योजनाओं में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण(फण्डिंग पैटर्न) में यदि राज्यांश में वृद्धि हो तो वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। 3. व्यय वित्त समति (EFC) के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के शासनादेश लागू रहेंगे।

*शासनादेश संख्या– **293/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन अंतर्गत यह नया क्रमांक 5 जोड़ा गया है।

6	विभिन्न प्रकार की अधिप्राप्ति हेतु टेन्डर निर्गत किया जाना एवं स्वीकृत करना	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सीमान्तर्गत
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा यह नया क्रमांक 6 जोड़ा गया है।				

नोटः– प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। व्यय हेतु बजट आवंटन उपलब्ध होना आवश्यक है।

विवरण पत्र– 5
भण्डार (स्टोस) तथा अन्य चल सम्पत्ति

क्र0सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	कार्यालयों हेतु उपकरण/संयत्र एवं नई साज–सज्जा यथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, जनरेटर, फर्नीचर आदि का क्रय	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	एक बार में रू0 25 लाख (रू पच्चीस लाख) की सीमा तक	
		कार्यालयाध्यक्ष	एक बार में रू0 5.00 लाख (रू पांच लाख) की सीमा तक क्रय किया जा सकता है।	

वर्ष 2018 में प्रख्यापित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 में इस उपक्रमांक अंतर्गत अधिकार का प्रकार था––"विभागीय कार्य हेतु उपकरण/संयन्त्र एवं नई साज–सज्जा का क्रय"। तत्समय अधिकारों का प्रतिनिधायन 'प्रशासकीय विभाग' एवं 'विभागाध्यक्ष' को ही किया गया था और उसकी परिसीमायें क्रमशः इस प्रकार थीं– "पूर्ण अधिकार" तथा " इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 2,00,000 लाख (रु० दो लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू० 10,00,000 (रू० दस लाख) तक की सामग्री का क्रय लिया जा सकता है।"
शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष की परिसीमा को बढ़ाकर 'एक बार में रू0 25,00,000 की सीमा तक" कर दिया गया तथा कार्यालयाध्यक्ष को जोड़कर उसकी परिसीमा रू0 5.00 लाख निर्धारित की गयी। "अधिकार के प्रकार" में शब्दावली परिवर्तित कर इस प्रकार कर दी गई– कार्यालयों हेतु उपकरण/संयत्र एवं नई साज–सज्जा यथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, जनरेटर, फर्नीचर आदि का क्रय

2.	विभागीय कार्य हेतु विशिष्ट उपकरण एवं संयंत्र का क्रय।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानें के अनुसार। तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2– विभागाध्यक्ष	एक बार में रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		I पुलिस महानिदेशक	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू० तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		II महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 75,00,000 (रू0 पिचहत्तर लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू० तीन करोड़)	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>III निदेशक, चिकित्सा शिक्षा</td><td>किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 75,00,000 (रू0 पचहत्तर लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड (रू० तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कार्यालयाध्यक्ष</td><td>एक बार में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td colspan="5">वर्ष 2018 में प्रख्यापित मूल वित्तीय हस्त पुस्तिका में अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा इस प्रकार थी– विभागाध्यक्ष– ''इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 10,00,000 लाख (रू० दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू० 20,00,000 लाख (रू० बीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है'', I पुलिस महानिदेशक– ''इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 10,00,000 लाख (रू० दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड (रू० तीन करोड) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है'', II महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग– ''इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 50,00,000 लाख (रू० पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू० तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है'', III निदेशक, चिकित्सा शिक्षा– ''इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 50,00,000 लाख (रू० पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड (रू० तीन करोड) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है''।
शासनादेश संख्या– 57/XXVII(7)22-36/2010-11, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा विभागाध्यक्ष के अधिकार को बढ़ाकर रू0 25.00 लाख, पुलिस महानिदेशक के अधिकार को बढ़ाकर रू0 25.00 लाख, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य की परिसीमा को बढ़ाकर रू0 75.00 लाख, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की परिसीमा को बढ़ाकर रू0 75.00 लाख किया गया। कार्यालयाध्यक्ष को जोड़कर उसकी परिसीमा रू0 5.00 लाख निर्धारित की गयी।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td rowspan="4">अभियंत्रण विभागों में औजारों और संयंत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।</td><td>1– प्रशासकीय विभाग</td><td>पूर्ण अधिकार</td><td rowspan="4">बजट उपलब्धता के सीमान्तर्गत</td></tr>
<tr><td>2– प्रमुख/मुख्य अभियन्ता, लोक विभाग/सिंचाई निर्माण विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग</td><td>किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 50,00,000 (रू0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>3– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग</td><td>इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 10,00,000 लाख (रू० दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड (रू० एक करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>4– अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/सिंचाई</td><td>इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 5,00,000 लाख (रू०</td></tr>
</table>

		विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू० 50,00,000 लाख (रू० पचास लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
वर्ष 2018 की नियमावली में क्रमांक 2 की परिसीमायें इस प्रकार थीं– इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू० 25,00,000 लाख (रू० पच्चीस लख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 2.00 करोड (रू० दो करोड़) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है। शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 2 की परिसीमा को बढ़ाकर रू0 3.00 करोड़ किया गया।				
4.	(क) ढुलाई के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	1– विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण विभाग को छोडते हुए)	पूर्ण अधिकार	–
		2– अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि०/यां०, लो०नि०वि०/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार	–
		3– अधिशासी अभियन्ता सिविल/वि०यां०, लो०नि०वि०, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु० 1,00.000/– (रू० एक लाख) की सीमा तक।	–
	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	1– विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण व स्वास्थ्य विभाग को छोड़ते हुए)	पूर्ण अधिकार	–
		2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज	पूर्ण अधिकार	–
		2– अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि०/यां०, लो०नि०वि०, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार	–
		3– अधिशासी अभियन्ता सिविल, लो०नि०वि० सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 15,000 (रू० पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) की संस्तुति पर।	–
		*4. अधिशासी अभियंता, वि0/यां0	रू0 60,000 (रू0 साठ हजार) तक	–

*शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा यह क्रमांक 4 जोड़ा गया है। शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 1 की परिसीमा को ''रू0 50000 तक'' (जोकि वर्ष 2018 के मूल नियम संग्रह में थी) से बढ़ाकर ''पूर्ण अधिकार'' किया गया।

5.	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं की खरीद और उसके लिये आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1– अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, सिविल/विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार	–
		2– अधिशासी अभियन्ता, सिविल विद्युत/यांत्रिक लो०नि०वि०, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग।	2– रू० 50,000 (रू० पचास हजार) की सीमा तक।	–
6.	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण में रेखण सर्वेक्षण (ड्राइंग सर्वेइंग) तथा गणितीय उपकरण (मैथमेटिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स) रखना।	1– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार	–
		2– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत, यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	2– पूर्ण अधिकार, इस प्रतिबंध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय।	–
		निष्प्रोज्य भण्डार और सामग्री का निस्तारण		
7.	फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करना। (अभियंत्रण विभागों को छोड़कर)	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	रू0 5,00,000 (रु० पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय के प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न

				हो) तथा संबंधित विभागाध्यक्ष होगे। केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को संदर्भित किये जायेंगे।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	निष्प्रयोज्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किन्तु जब भण्डार किसी प्रविधिक व औद्योगिक विद्यालय का हो तो विक्रय के लिए परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
		3–कार्यालयाध्यक्ष	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार।

शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमा को रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख किया गया तथा कार्यालयाध्यक्ष के सम्मुख अंकित अभ्युक्ति स्तम्भ में वर्ष 2018 के मूल नियम संग्रह में अंकित निम्न वाक्य को परिवर्तित कर वर्तमान के उपरोक्त वाक्य को रख दिया गया– ''इस प्रतिबंध के साथ कि फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अधिक ह्रासित मूल्य पर न किया जाय, परन्तु ऐसी सामग्री जो पूर्णतः नष्ट या किसी स्वरूप में पुनः प्रयोग नहीं की जा सकती हो, उसके हासित मूल्य को शून्य समझा जाय।
– निष्प्रयोज्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किन्तु जब भण्डार किसी प्राविधिक व औद्योगिक विद्यालय का हो तो विक्रय के लिए परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।''

8.	किसी भण्डार (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) को फालतू घोषित करना तथा उसे नष्ट करना अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका विक्रय स्वोकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार।
		2– प्रमुख/मुख्य अभियन्ता अधीक्षण (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0/सिंचाई/ लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार	
		3– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
		4–अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, सिंचाई/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
		5. परिवहन आयुक्त	रू0 01,00,000 (रू0 एक लाख) तक	

वर्ष 2018 में प्रख्यापित नियम संग्रह में क्रमांक 8 के 02 उपक्रमांक थे– (क) एवं (ख)।

शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा उपक्रमांक (क) एवं (ख) को एक साथ समाहित कर दिया गया तथा क्रमांक 2 की परिसीमा को रू0 15.00 लाख से बढ़ाकर ''पूर्ण अधिकार'', क्रमांक 3 की परिसीमा को रू0 2.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख, क्रमांक 4 की परिसीमा को रू0 20000 से बढ़ाकर रू0 5.00 लाख तथा क्रमांक 5 की परिसीमा को रू0 50000 से बढ़ाकर रू0 1.00 लाख किया गया। 'अधिकार के प्रकार' में शब्द '' उसे नष्ट करना'' सम्मिलित किया गया।				
	(ख) किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) को निष्प्रयोज्य घोषित करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2– प्रमुख/मुख्य अभियन्ता /लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई	रू० 15,00,000 (रू० पन्द्रह लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
		3– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई विभाग	रू0 1,50,000 (रू० एक लाख पचास हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	
		4. 4 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण सिंचाई/लोक विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई	रू0 20,000 (रू० बीस हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	
	शासनादेश संख्या– **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा उपरोक्त उपक्रमांक '(ख)' को क्रमांक 8 में ही समाहित कर दिया गया है।			
9.	उपर्युक्त घोषित निष्प्रयोज्य भण्डार के सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	1. पूर्ण अधिकार	
		2. परिवहन आयुक्त	2– रू0 50,000 (रू० पचास हजार) तक	
		3. मुख्य अभियन्ता/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	3– रू0 15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख) पुस्तक मूल्य तक ।	
		4– अधीक्षण अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	4– रू0 1,50,000 (रू० एक लाख पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्य क्रमशः संबंधित अधिशासी अभियन्ता, जिले में तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिले में तैनात वित्त/लेखा सेवा के अधिकारी होंगे, के माध्यम से किया जाएगा। कृत कार्यवाही की

				~~सूचना अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अंतर्गत मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी।~~
		~~5— अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्य विद्युत नियंत्रक।~~	~~5— विभाग को रू0 20,000 (रूपये बीस हजार) पुस्तक मूल्य तक।~~	~~कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अंतर्गत अधीक्षण अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी।~~
शासनादेश संख्या— **57/XXVII(7)22-36/2010-11**, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा क्रमांक 9 को विलोपित कर दिया गया है।				
10.	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं) जो न फालतू हो और न निष्प्रयोज्य हो, पूर्ण मूल्य/लागत (सामान्य पर्यवेक्षक शुल्क सहित) जमा कर अन्तर खण्डीय/अंतर्विभागीय स्थानान्तरण करना।	1— अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार	
		2— अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	रू० 2,00,000 (रू० दो लाख) के पुस्तक मूल्य तक।	
11.	सूचना और संचार तकनीकी उपकरणों का निस्तारण।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण नीति, 2016 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार।
		विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण नीति, 2016 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार।
		कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक वर्ष रू० 1,00,000/— (रू० एक लाख) मूल्य सीमा तक	सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण नीति, 2016 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार।

विवरण पत्र– 6

राजस्व में छूट अथवा परित्यजन

क0सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राजस्व में छूट देना अथवा वसूली छोड़ देना– 1. ऐसी धनराशियां जो विभागाध्यक्षों द्वारा वसूल न होने योग्य प्रमाणित की गयी हों,	1–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में रू0 10,000 (रू० दस हजार) तक।	–
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू० 5,000 (रू० पांच हजार) तक।	
	2. ऐसी धनराशियां, जो वसूल न होने योग्य घोषित न हुई हों।	1– प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में रू0 5,000 (रू० पांच हजार) रूपये तक।	निम्नलिखित शर्तों के अधीन– 1. इस अधिकार का प्रयोग उन मामलों में नहीं किया जाएगा जिनमें कि ऐसी छूटें किसी अधिनियम या नियमावली अथवा पृथक अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होती हों अथवा कोई विशेष प्रतिनिधायन मौजूद हो। 2. जहां पर छूट देने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित हो वहां उसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। 3. उस मामले में प्रक्रिया के किसी दोष का पता न चलें 4. किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से असावधानी न की गई हो जिसमें किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश अपेक्षित हो। 5. प्रत्येक मामले में वसूली की छूट के कारण अभिलिखित किये गये हों।
		2– विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 2,000 (रू० दो हजार) तक	
2.	व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर देयों की वसूली न होने वाली धनराशि को उसे वसूल करने के लिए	1. प्रशासकीय विभाग	रू0 2,50,000 (रु० दो लाख पचास हजार) से ऊपर परन्तु रु० 10,00,000 (रु० दस लाख) से अनधिक।	प्रत्येक मामले संयुक्त जांच दल द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र से आयुक्त कर द्वारा संतुष्ट हेने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, वित्त विभाग की सहमति से

	हर संभव प्रयत्न करने के पश्चात संयुक्त जांच दल (Joint enquiry team) द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात इस आशय शय का प्रमाण–पत्र दिये जाने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, बट्टे खाते में डालना।			टिप्पणी–अप्रतिलभ्य व्यापार कर बकाया के अपलेखन (Write-off) की स्वीकृति प्रदान करने वाले संबंधित अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि अपलेखन आदेश जारी किये जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर ली गई है– (1) छः वर्ष से कम अवधि के बकाये के अपलेखन की आवश्यकता न्यूनतम होनी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में छः वर्ष से कम अवधि के बकाये को अपलेखित किया जाता है तो अपलेखन (Write-off) आदेश की एक प्रति शासन को भी सूचनार्थ भेज दी जाये। (2) प्रत्येक प्राधिकारी उनके द्वारा स्वीकृत किये गये अपलेखनों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा जिसमें अपलेखन के सम्बन्ध में दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथ्य अंकित किये जायेंगे जो कि भविष्ट में आवश्यकतानुसार देखे जा सकें। (3) अपलेखन आदेश जारी करने से पूर्व पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वसूली की दिशा में हर सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है। जिस मामले में बकायेदारों की संख्या एक से अधिक हो, उसमें सभी के विरूद्ध वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी हैं तथा बकायादार/बकायादारों के चल/अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या मामले की सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध है। (4) वसूली के सिलसिले में संबंधित बकायादार/बकायादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

				(5) बकायादार/बकायादारों से बकाया की वसूली के सिलसिले में विस्तृत जांच न केवल उनके व्यवसाय के स्थान पर वरन् उनके स्थायी अथवा अस्थायी निवासों की जगह पर भी की जा चुकी है।
		2– आयुक्त कर	प्रत्येक मामले में 2,50,000 (रू० दो पचास हजार) तक रू० लाख	संयुक्त जांच दल द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से अपर आयुक्त (वित्त) कार्यालय आयुक्त कर के परामर्श से संतुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती।
3.	विकास के लिए वसूल न होने योग्य ऋण में छूट, धनराशि वसूल करने के लिए सभी संभव उपाय करने के बाद जिलाधिकरी के इस आशय के प्रमाण–पत्र पर स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में रू0 5,000 (रू० पांच हजार) तक तथा एक वित्तीय वर्ष में रू० 50,000 (रू० पचास हजार) तक।	–
		2. मण्डलायुक्त	प्रत्येक मामले में रू० 2,000 (रू० दो हजार) तक तथा एक वित्तीय वर्ष में रू0 20,000 (रू० बीस हजार) तक।	–
4.	मोटर्स व्हीकल टैक्सेशन एक्ट की सुसंगत धारा के अधीन देय वसूल न होने योग्य मोटर कर के बकाया की छूट स्वीकृत करना।	परिवहन आयुक्त	1. किसी वित्तीय वर्ष में रू० 10,000 रु० दस हजार) तक । 2. किसी एक मामले में रू० 1,000 (रू० एक हजार) तक।	–

विवरण पत्र– 7

हानियों को बट्टे खाते डालना

क्र0सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	भण्डार या लोकधन की अवसूलनीय हानियां जिनके अंतर्गत पूर्णतः नष्ट हुये स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है, को बट्टे खाते डालना।	1– प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मद में रू0 20,000 (रू० बीस हजार) से अधिक तथा रू0 50,000 (रू० पचास हजार) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य रु० 1,00,000 (रू० एक लाख) से अधिक न हो।	उपरोक्त निम्नलिखित प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि– 1. प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा 2. किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गई हो जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।
		2–मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में:– प्रत्येक मद में रू0 20,000 (रू० बीस हजार) की सीमा तक, बशर्तें मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू० 50,000 (रू० पचास हजार) से अधिक न हो।	
		3–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मद में रू0 20,000 (रू० बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू० 50,000 (रु० पचास हजार) से अधिक न हो।	
		4–कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी अधिकारी)	प्रत्येक मद में रू0 2,000 (रु० दो हजार) तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रू0 10,000 (रु० दस हजार) की सीमा तक।	
2.	किसी भी प्रकार के ऐसे फालतू और निष्प्रयोज्य	1. प्रशासकीय विभाग	1. प्रत्येक मद में रू0 20,000 (रू० बीस हजार)	निम्नलिखित शर्तों के अधीन–

	भण्डार, जो खराब हो गया हो या जिसे विक्रय करना आवश्यक समझा जाए, के विक्रय के फलस्वरूप होने वाली हानि को बट्टे खाते डालना, स्वीकृत करना।		से अधिक तथा रू0 50,000 (रु० पचास हजार) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य रु० 1,00,000 (रू० एक लाख) से अधिक न हो।	(क) खराब होने अथवा फालतू होने के कारणों का पूर्ण रूप से उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में एक रिपोर्ट (जोकि मृत पशु–पक्षी के सम्बन्ध में उतनी ही आवश्यक है) स्वीकृति के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भेजी जाए।
		2. विभागाध्यक्ष	1. प्रत्येक मद में रू0 20,000 (रू० बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू० 50,000 (रू० पचास हजार) से अधिक न हो।	(ख) प्रश्नगत भण्डार को उस समय तक पुस्तकों से काटा नहीं जाएगा जब तक कि वस्तुतः विक्रय न हो जाए अथवा जीर्ण–शीर्ण हुए या निष्प्रयोज्य उपकरण और औजार लोहे के टुकड़ों के रूप में टूट न जाए।
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू 2,000 (रू० दो हजार) तक	
3.	सूखने और सड़ जाने के कारण आलू के बीजों की हानियां, बट्टे खाते डालना।	कार्यालयाध्यक्ष	कोल्ड स्टोरेज की दशा में 10 प्रतिशत और सैन्ड स्टोरेज की दशा में 25 प्रतिशत की सीमा तक ।	
4.	2 (1) बीज, भूसा खली, उर्वरक दवाईयां, तरल पदार्थ, नमक, साइलेज और चारा आदि के भण्डार जो बजट के अनुदानों से क्रय किये गये, को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति प्रदान करना। क) प्राकृतिक कारणों से होने वाली हानि के मामलों में उदाहरणार्थ सुखावट और सफाई तथा ख) असामान्य घटनाओं के कारण उदाहरणार्थ झींगुर, चूहे, दीमक, वर्षा इत्यादि के कारण हानि।	कार्यालयाध्यक्ष	निम्नलिखित मामलों में वार्षिक सीमा तक– क) 1) प्रत्येक प्रकार का रबी बीज भण्डारण के समय माल का एक प्रतिशत 2) प्रत्येक प्रकार का खरीफ बीज भण्डारण के समय कुल माल का 3 प्रतिशत। 3) भूसा, खली, उर्वरक दवाइयां, तरल पदार्थ, नमक साइलेज और चारा–भण्डारण के समय कुल माल का 3 प्रतिशत। 4) कपास– क) भण्डारण में रखने के कारण कमी भण्डारी के	– बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति के मामलों की एक सूची यथा निर्धारित प्रपत्र पर कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिवर्ष विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जानी चाहिए। – बट्टे–खाते डाली गयी हानियां, बीज और उपकरण अग्रिम के, जहां वे उस अग्रिम से सम्बन्धित हों, लाभ और हानि लेखे के नामें डाली जायेंगी।

			समय कुल माल का 1 प्रतिशत। ख) औटने से होने वाली कमी–औटी गई कपास की मात्रा का 3 प्रतिशत । ग) पट्टी (लिंट) के सूखने से होने वाली कमी भण्डारण के समय कुल माल का 1 प्रतिशत । ख) सभी प्रकार के रबी व खरीफ फसल के बीज के कुल माल के 1 प्रतिशत की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि– (क) और (ख) दोनों के सम्बन्ध में उसी मद के बारे में उसी वर्ष के लिए बट्टे–खाते डाली गयी कुल धनराशि कुल रबी माल के डेढ़ प्रतिशत और कुल खरीफ माल के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक न हो।	
	(2) ऐसा तरल स्टाक (बीज, भूसा, खली उर्वरक इत्यादि) जो असामान्य घटनाओं जैसे झींगुर, चूहे, दीमक, वर्षा इत्यादि के कारण घटिया हो गया हो और परिणामस्वरूप पूरी कीमत पाने के लिए समर्थ न रहा हो, के कारण हानियां बट्टे–खाते डालना।	कार्यालयाध्यक्ष	एक वर्ष में किसी एक संस्था में संग्रह की गई, भण्डार में रखते समय प्रत्येक किस्त के कुल माल के 10 प्रतिशत की सीमा तक, किन्तु शर्त यह कि इस 10 प्रतिशत का पुस्तक मूल्य 2000 रू० से अधिक न हो (परिणाम और धन सम्बन्धी निर्धारित सीमाएं माल के संदर्भ में दी गयी हैं न कि खराब होने के कारण हुई इस माल की हानि के जो बट्टे–खाते डाला जायेगा)। क) उन्हीं शर्तों के अधीन जो कि ऊपर मद 4 (1) में दी गई हैं।	–

			ख) गन्ना विकास अधिकारियों के मामले में ऊपर मद–2 के सम्मुख क्र० संख्या 3 में (क) और (ख) में दी हुई शर्तों के अधीन ।	
5.	सरकारी पुस्तकालयों में खोई अथवा नष्ट हुई पुस्तकों को अवसूलनीय हानियों को बट्टे–खाते डालना।	1.विभागाध्यक्ष 2.जिला तथा सेशन जज और उप पुलिस महानिरीक्षक	प्रत्येक पुस्तक के संबंध में 1000/– रू० (एक हजार के मूल्य तक किन्तु एक वर्ष में कुल रु० 1,00,000 (रू एक लाख) अधिकतम सीमा तक	–
		3. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	–
6.	राजस्व की हानि (जिनके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई अवसूलनीय धनराशि भी सम्मिलित है) या अवसूलनीय ऋण या अग्रिम धन का बट्टे खाते डालना।	1. विभागाध्यक्ष	25,000 रूपये (रु० पच्चीस हजार) की सीमा तक प्रतिबंध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाये।	–
		2. मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में– 25,000 रूपये (रू0 पच्चीस हजार) की सीमा तक, प्रतिबंध यह है के प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाय।	–
		3. प्रशासकीय विभाग	रू0 1,00,000 (रू० एक लाख) की सीमा तक। वित्त विभाग की सहमति से रु० 1,00,000 (रू० एक लाख) से 5,00,000 लाख रूपये (पांच लाख) की सीमा तक ।	–
7.	ऐसे मामलों में जिनमें राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अथवा प्रतिभू (जामिन) से वसूली व्यावहारिक न हो, राजकीय बीज भण्डारों और	1. विभागाध्यक्ष	1. एक मामले में 2000 रू0 (रू० दो हजार) तक और एक वर्ष में 20,000 रु० तक।	–

	कृषि क्षेत्रों के वसूल न होने योग्य देय धनराशियां (ब्याज सहित) बट्टे–खाते डालना।	2. कार्यालयाध्यक्ष	2. एक मामले में 1000 रू० (रू० एक हजार) तक और एक वर्ष नें 10,000 रु० (रू० दस हजार) तक।	
8.	टूट–फूट, दुर्घटनाओं आदि के कारण बीज तथा उपकरणों की हानियों को बट्टे–खाते डालने हेतु स्वीकृति प्रदान करना।	1. विभागाध्यक्ष	एक मामले में 2000 रू० (रु० दो हजार) तक और एक वर्ष में 10,000 रु० (रू० दस हजार) तक।	–
		2 कार्यालयाध्यक्ष	एक मामले में 1000 रु० (रु० एक हजार) तक और एक वर्ष में 5,000 रु० (रू० पांच हजार) तक ।	
9.	दुर्घटनाओं, जालसाजी असावधानी या अन्य कारणों से खोये या नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए भण्डारों एवं अन्य सम्पत्ति के वसूल न हो सकने वाले मूल्य या खोये सरकारी धन की वसूल न हो सकने वाली धनराशियों को बट्टे–खाते डालना।	1. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 20,000 रूपये (रू० बीस हजार) तक बशर्तें एक वर्ष में रू० 4,00,000 (रु) चार लाख) से अधिक की हानियां बट्टे–खाते में न डाली जाये।	उपरोक्त प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि (1) प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा (2) किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गयी है, जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मद में रू0 2,00,000 (रू० दो लाख) की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रू 10,00,000 (रू० दस लाख) की अधिकतम सीमा तक।	
		3. मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में– प्रत्येक मद में रू0 2,00,000 (रू० दो लाख) की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रु० 10,00,000 (रु० दस लाख) की अधिकतम सीमा तक।	
		4. प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मद में रू0 2,00,000 (रु० दो लाख) से अधिक तथा रू0 25,00,000 (रु० पच्चीस लाख) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के	

			समूह का कुल रु० 1.00 करोड़ (एक करोड़) से अधिक न हो।	
		5. मंत्रि परिषद	उपरोक्त कमांक–4 से अधिक के प्रकरण।	
10.	राजकीय अस्पतालों के बीमारों से वसूल न होने योग्य देय धनराशियां बट्टे–खाते डालना (यह प्रतिनिधायन बीमारों से देय उन धनराशियों पर लागू नहीं होता है जो अस्पताल के कर्मचारी वर्ग को देय है)।	महानिदेशक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें	2000 रू० (रू० दो हजार) की सीमा तक बशर्ते एक वर्ष में 20000 रू० (रू० बीस हजार) से अधिक न हो।	
11.	स्टाक में अन्तर्विष्ट भण्डारित सामग्री के मूल्य में और अन्य लेखाओं में कमियों और ह्रास (वाहन के अतिरिक्त) के मामलों के बट्टे–खाते डालना।	1. विभागाध्यक्ष 2. मण्डलायुक्त	25,000 रूपये (रू० पच्चीस हजार) तक। राजस्व विभाग के सम्बन्ध में– 25,000 रूपये (रु० पच्चीस हजार) से अधिक एवं 1,00,000 रूपये (रू० एक लाख) की सीमा तक।	–
		3. प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग की सहमति से– 1,00,000 रूपये (रू० एक लाख) से 10.00 लाख (रू० दस लाख) की सीमा तक।	
12.	प्रदेश के अंदर रेल से भेजे गये खाद्यानों के प्रेषणों (कन्साइनमेन्ट्स) में प्राकृतिक कारणों से मजबूत (बगैर कटे–फटे) बोरियों में पायी गयी मार्गगत हानियां (जिनका रेलवे से दावा न किया जा सकता हो) को बट्टे–खाते डालने को स्वीकृति देना।	संभागीय खाद्य नियंत्रक	0.25 प्रतिशत तक, किन्तु शर्त यह है कि हानियां किसी संबंधित तरकारी कर्मचारी की असावधानी के कारण न हुई हो और यह कि संभागीय वित्त अधिकारी उन हानियों को बट्टे–खाते डालने के लिए सहमत हों।	हानियों का एक मासिक विवरण पत्र, जिसमें उन परिस्थितियों के उल्लेख के साथ जिनके कारण बट्टे–खाते डालना आवश्यक हो गया हो, मात्रा, मूल्य तथा कुल मात्रा, जिसमें से कमी पायी गयी हो, शासन को भेजा जाना चाहिए।
13.	खाद्यानों के संग्रहण में लगभग 6 माह की अवधि के दौरान प्राकृतिक कारणों से घटित हानि बशर्तें कि	संभागीय खाद्य नियंत्रक	खाद्य 0.50 प्रतिशत, किन्तु रू0 10 हजार की सीमा तक ।	–इस प्रतिबंध के अधीन कि संभागीय वित्त अधिकारी हानि को बट्टे खाते में डालने को सहमत हो।

	हानि किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही, प्रक्रिया या संग्रह प्रबन्धन में दोष के कारण न हुई हो को बट्टे–खाते डालने की स्वीकृति देना।			– हानियों का एक मासिक विवरण जिसमें घटित हानि की मात्रा एवं मूल्य तथा कुल मात्रा एवं मूल्य जिसमें से कभी पाई गई हो, के साथ ही उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया जायेगा जिसके कारण बट्टे खाते में डालना आवश्यक हो गया है खाद्य आयुक्त को भेजा जायेगा।
		खाद्य आयुक्त	2.00 प्रतिशत, किन्तु रू0 50 हजार की सीमा तक।	इस प्रतिबंध के अधीन कि वित्त नियंत्रक हानि को बट्टे खाते में डालने को सहमत हो। –हानियों का एक मासिक विवरण जिसमें घटित हानि की मात्रा एवं मूल्य तथा कुल मात्रा एवं मूल्य जिसमें से कमी पाई गई हो, के साथ ही उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया जायेगा जिसके कारण बट्टे खाते में डालना आवश्यक हो गया है शासन को भेजा जायेगा।
14.	क) रसायनिक उर्वरकों, उनके मिश्रण तथा कीट एवं रोगनाशक रसायनों तथा उनके मिश्रणों की मार्गगत हानि का बट्टे खाते डालने की स्वीकृति प्रदान करना।	1–विभागाध्यक्ष	1– प्रत्येक प्रेषण (कन्साइनमेंट) में 3 प्रतिशत या 10,000 रू० (दस हजार) तक जो भी कम हो।	– उक्त प्रतिनिधायन इस प्रतिबंध के साथ है कि हानि किसी से वसूल न की जा सकती हो और उसका दावा उचित कारणों से रेलवे तथा प्रेषक द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका हो।
		2–कार्यालयाध्यक्ष	2– प्रत्येक प्रेषण (कन्साइनमेंट) में 3 प्रतिशत या 2,000 रु० (दो हजार) तक जो भी कम हो।	–
	ख) रसायनिक उर्वरक, उनके मिश्रण तथा कीट एवं रोगनाशक रसायनों तथा उनके मिश्रणों की संग्रह हानि को बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान करना।	1– विभागाध्यक्ष	1. प्रत्येक मामले में 3 प्रतिशत या 10,000 रु० (दस हजार) तक जो भी कम हो।	– उक्त प्रतिनिधायन इस प्रतिबंध के साथ है कि संग्रह की अवधि छः माह से कम न हो।
		2–कार्यालयाध्यक्ष	2. प्रत्येक मामले में 3 प्रतिशत या 2,000 रु० (दो हजार) तक जो भी कम हो।	–

विवरण पत्र–8

विविध वित्तीय अधिकार

क्र0सं0	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करना।	वित्त विभाग	निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार– 1. सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यालय, जो कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हो, का सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी हो और लेखा–प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भली–भांति परिचित हो।	यदि कोई आहरण एवं वितरण, अधिकारी उपार्जित अवकाश पर चला जाता है, या उसका स्थानान्तरण हो जाता है या अन्य किसी कारण से अल्प समय के लिए वह पद रिक्त हो जाता तो और उस पद के लिए कोई स्थायी या स्थानापन्न प्रबन्ध नहीं किया जाता है, तो सक्षम अधिकारी उस रिक्त पद पर जिस किसी राजपत्रित अधिकारी को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, वह अधिकारी उस कार्यालय के सम्बन्ध में अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकृत होने के साथ–साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी भी विधिवत घोषित माना जायेगा।
2.	किसी अधिकारी को मूल नियमों, सहायक नियमों तथा लेखा नियमों हेतु विभागाध्यक्ष घोषित करना।	प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करके।	अधिकारी एक पृथक संगठन का सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए जिसका वेतनमान सातवें वेतनमान के क्रम में स्तर–13 से कम न हो। कार्मिक

				विभाग के परामर्श से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
3.	किसी अधिकारी को जिले में कार्यालयाध्यक्ष घोषित करना।	प्रशासकीय विभाग	कार्मिक विभाग के परामर्श से पूर्ण अधिकार	—
4.	अधीनस्थ अधिकारियों को वित्तीय अधिकार पुनः प्रतिनिहित करना।	प्रशासकीय विभाग	प्रशासकीय विभाग, सब मामलों में, अपने विभाग में निहित अधिकारों की सीमा तक किसी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकार पुनः प्रतिनिहित कर सकते हैं, निम्नलिखित को छोड़कर— 1.पदों का सृजन 2.हानियों को बट्टे—खाते डालना	—
5.	अतिरिक्त विभागाध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के समस्त अथवा कतिपय वित्तीय अधिकार पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिनिहित करना।	प्रशासकीय विभाग	निम्नलिखित शर्तों के अधीन— 1. विभागाध्यक्ष की संस्तुति हो। 2. अतिरिक्त विभागाध्यक्ष श्रेणी—1 से कम स्तर का अधिकारी न हो 3. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी हो।	उपरोक्त के अंतर्गत विभागाध्यक्ष के अधिकार का प्रतिनिधायन संयुक्त/उप विभागाध्यक्ष को करने की अनुमति नहीं है।
6.	उन अस्थायी पदों के स्थायीकरण के आदेश प्रसारित करना जिनके स्थायीकरण का प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति से नई मांगों की अनुसूची द्वारा आय—व्ययक में विधान मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।	विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष	उन पदों के सम्बन्ध में जिनके वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, पूर्ण अधिकार, किन्तु शर्त यह है कि — 1. स्थायीकरण के आदेशों में उन सब शासनादेशों की संख्या व तारीख दी जायेगी जिसमें सर्वप्रथम शासन	

			द्वारा पद के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग की अनुमति से दी गयी थी और समय–समय पर गत वर्ष के मार्च 31 तक पद का प्रसार हुआ था। 2. उक्त आदेशों में पद का शासन द्वारा स्वीकृत वेतनक्रम पूर्णरूपेण अंकित होगा। 3. यदि पद सृजन के समय किसी पद को आस्थगित रखा गया था तो उसे वित्त विभाग की पूर्व सहमति लिये बिना पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।	
7.	कालबाधित बकाया वेतन, भत्ते एवं अन्य प्रकार के दावों की पूर्व लेखा परीक्षा द्वारा जांच स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के पैरा–74 (बी) में उल्लिखित शर्तों के अधीन ।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार। (वित्त सेवा/लेखा सेवा के अधिकारियों से पूर्व लेखा परीक्षा कराके स्वीकृत करना।)	
सहायक अनुदान				
1.	सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सहायक अनुदान स्वीकृत करना	शासन का शिक्षा विभाग	पूर्ण अधिकार	शिक्षा संहिता में दिए हुए नियमों के अनुसार
2.	जूनियर हाई स्कूलों/हाई स्कूलों/इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन फर्नीचर और सज्जा के रख–रखाव के लिए सामान्य निर्दिष्ट धनराशि में से अनावर्तक अनुदान स्वीकृत करना।	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	–

	जूनियर हाई स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करना।	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	–
3.	ऐसे प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तियों को, जो दरिद्रावस्था में हो, आर्थिक सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की योजना के अधीन, नियमों के अनुसार अनुदान स्वीकृत करना।	शिक्षा विभाग	पूर्ण अधिकार	–
4.	ऐसे व्यक्तियों की यात्रा अनुदान स्वीकृत करना जो विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस, कांफ्रेन्स, सेमिनार और सिम्पोजियम में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किये गये हों।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	किन्तु शर्त यह है कि स्वीकृति इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रदान की जाये।
5	सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनुदान स्वीकृत करना।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	इस प्रतिबन्ध के साथ कि इन अनुदानों की स्वीकृति और इनका उपयोग सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जायेगा।
		अग्रिम धनराशियाँ		
1.	स्थायी अग्रिम (Permanent Imprest)	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–3 के पैरा 67 के अधीन।
2.	भवन निर्माण/ पुनर्निर्माण /क्रय/मरम्मत के लिए सरकारी सेवकों को अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक पूर्ण अधिकार	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग 1 के अध्याय–11 के पैरा 244 के अधीन शासनादेश संख्या–537/वि०अनु०–1/ 2004, दिनांक 16 जुलाई, 2004 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन
		2– विभागाध्यक्ष	1. अनुमन्य सीमा तक 2. अधीनस्थ श्रेणी– 2 एवं मुख्यालय में तैनात श्रेणी–2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी /वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।	

		3. कार्यालयाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में।	
3.	मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर क्रय करने के लिए सरकारी सेवकों को अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	शासनादेश संख्या–538/वि० अनु0–1/2004, दिनांक 16 जुलाई, 2004 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन
		2– विभागाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ श्रेणी–2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में।	
4.	कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु सरकारी सेवकों को अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	वित्त अनु०–1 का शासनादेश सं० 538ए/वि०अनु०/2004, दिनांक 16 जुलाई, 2004 एवं समय– समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन ।
		2– विभागाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ श्रेणी–2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अपने अधीनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में।	
5.	स्वयं अथवा अधीनस्थ सरकारी सेवक को, स्थानान्तरण अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण पर जाने हेतु अग्रिम वेतन स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	एक माह के मूल वेतन की सीमा में पूर्ण अधिकार	एक माह के मूल वेतन की सीमा में।
		2– विभागाध्यक्ष		
		3– कार्यालयाध्यक्ष		
6.	अपने स्वयं के दौरे अथवा अधीनस्थ अराजपत्रित/ राजपत्रित सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण/दौरे/एल०टी०सी० के लिए यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	–
		2– विभागाध्यक्ष		
		3– कार्यालयाध्यक्ष		
7.	कानूनी कार्यवाही हेतु अग्रिम स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन।

		2– विभागाध्यक्ष 3– कार्यालयाध्यक्ष		
8.*	चिकित्सा प्रतिपूर्ति अग्रिम ।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	चिकित्सा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया अनुसार 75% की सीमा तक।
		2– विभागाध्यक्ष	रू0 10,00,000 (रू दस लाख तक)	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	रू0 3,00,000 (रू0 तीन लाख)–तक	
*शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमाओं को क्रमशः रू 5.00 लाख से बढ़ाकर रू 10.00 लाख तथा रू 1.50 लाख से बढ़ाकर रू 3.00 लाख किया गया।				
*9.	कार्यालय व्यय	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में निर्धारित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2– विभागाध्यक्ष	रू0 5,00,00 लाख तक	
		3– कार्यालयाध्यक्ष	रू0 1,00,000 लाख तक	
*शासनादेश संख्या– **434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष की परिसीमाओं को कमशः ''पूर्ण अधिकार'' से संशोधित कर रू 5.00 लाख एवं रू 1.00 लाख किया गया। अभियुक्ति स्तम्भ में भी पूर्व में अंकित वाक्य ''उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार होगी'' में संशोधन किया गया। वर्ष 2018 की नियमावली में अधिकार का प्रकार 'सामान्य कार्यालय व्यय' था जिसे वर्ष 2019 में संशोधित कर ''कार्यालय व्यय'' कर दिया गया।				
10.	निम्नलिखित के लिए अग्रिम स्वीकृत करना– (1) किसी आबकारी मामले का पता लगाने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए (2) कानूनी वादों के लिए (3) आवश्यक आकस्मिक व्यय पूरा करने के लिए तथा किसी आपातकालीन दशा में अथवा जब मेलों और तमाशों में पुलिस के बड़े दल नियुक्त किये जाते है अथवा जब वे डैकती गश्त पर बाहर भेजे जाते है, अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों	(1) जिलाधिकारी (2) कार्यालयाध्यक्ष (3) महानिरीक्षक पुलिस	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/सीमाओं के अधीन, (1) 249 (आई) (2) 249 (ई), इस और शर्त के अधीन कि दावा रिट दायर/ विरोध करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी हो। (3) 249 ए (2) प्रत्येक मामले में अथवा 1,000 रू० तक अथवा यथाआवश्यक शासन द्वारा निर्गत संशोधित धनराशि।

	तथा पुलिस के सिपाहियों का यात्रा व्यय पूरा करने के लिए। (4) स्पेशल पुलिस फोर्स के संचालन से सम्बन्धित सम्भावित व्यय की पूर्ति के लिए। (5) कांस्टेबिलों के पदों के लिए नियुक्त कार्मिकों के वेतन के लिए। (6) आपातकालीन मामलों में जैसे साम्प्रदायिक दंगा या अन्य शान्ति भंग प्रकरण अथवा डकैतियों या अन्य आपातिक स्थितियों में, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर के स्थानों पर ड्यूटी लगाये गये अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस के सिपाहियों से सम्बन्धित आकस्मिक व्यय तथा उनके यात्रा भत्ता व्यय की पूर्ति हेतु। (7) आपातिक मामलों में पी०ए०सी० के अराजपत्रित अधिकारियों तथा सिपाहियों के यात्रा भत्तों और अत्यन्त आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए। (8) आपातिक मामलों में उनके कार्यक्षेत्र में तैनात की गयी दूसरी बटैलियन की कम्पनी या दस्ते के यात्रा भत्तों आदि के व्ययों के लिए।	(4) पुलिस महानिरीक्षक. (5) पुलिस अधीक्षक (6) पुलिस अधीक्षक 7. कमान्डेंट पी0ए0सी0 8. पी0ए0सी0	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	
11.	छोटे निर्माण कार्यों (पेटीवर्क्स) के सम्बन्ध में ठेकेदारों अथवा संवितरकों (डिसबर्सस) को अग्रिम स्वीकृत करना।	कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय 13 के पैरा 312 में दी हुई शर्तों/सीमाओं के अधीन अथवा यथाआवश्यक शासन द्वारा निर्गत संशोधित धनराशि
12.	स्थायी/अस्थायी अधिष्ठान के सदस्यों को उचन्त (इन्प्रेस्ट) स्वीकृत करना।	अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,सिंचाई/ लघु सिंचाई विभाग	पूर्ण अधिकार	विभागीय निर्माण के सम्बन्ध में 10,000 रू० (दस हजार) तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाए किन्तु अधिकतम

		तथा ग्रामीण निर्माण विभाग		रू0 2,000 (दो हजार) तक और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के पैरा–166 और 168 में दी हुई शर्तों के अधीन अथवा यथाआवश्यक शासन द्वारा निर्गत संशोधित धनराशि
13.	मेलों, प्रदर्शनियों, महामरियों तथा अन्य आपातिक स्थितियों से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए अस्थाई अग्रिम धनराशियॉ स्वीकृत करना।	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।	पूर्ण अधिकार	प्रत्येक मामले में रू 20,000 (रु० बीस हजार) तक।
14.	राज्य अतिथियों के आगमन के सम्बन्ध में अपेक्षित व्यय करने हेतु विशेष अग्रिम स्वीकृत करना।	सम्बन्धित जिलाधिकारी	पूर्ण अधिकार	किसी एक अवसर पर रू 5000 (रू0 पांच हजार) की अधिकतम सीमा तक ।
*15.	प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय हेतु अग्रिम स्वीकृत करना	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में निर्धारित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2– विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) तक	
		3–कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) तक	
*वर्ष 2018 में प्रख्यापित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 में क्रमांक 15 नहीं था। शासनादेश संख्या–**434/XXVII(7)36/2010-11**, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 द्वारा उक्त क्रमांक 15 को जोड़ा गया है।				

नोट– नीचे अंकित किए गए शासनादेश/प्रावधान उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1/वित्तीय अधिकारियों का प्रतिनिधायन, वर्ष 2018 पुस्तिका में अंकित नहीं हैं, किन्तु इसकी उपादेयता वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन पढ़ते/लागू करते समय रहती है, इस कारण पाठकों की सुविधा हेतु इनका उल्लेख शासनादेश संख्या/तिथि सहित यहां कर दिया गया है।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–323/**xxvii**(7)/19–50(07)/2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के द्वारा छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्यों (मेजर वर्क्स) की वित्तीय सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित/परिवर्धित किया गया है–

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	वित्तीय सीमाऐं
1	2	3
1.	छोटे कार्य (पेटी वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक न हो।
2.	लघु कार्य (माइनर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 20.00 लाख से अधिक न हो।
3.	वृहत कार्य (मेजर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 20.00 लाख से अधिक हो।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– 334307/2025/ XXVII(9)/01/वि0अ0क0प्र0/2024/ई–91564, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025

विषय– सरकारी विभाग/सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थानों आदि के अप्रयुक्त भवन को एक विभाग से दूसरे विभाग को आवश्यकतानुसार हस्तान्तरित किये जाने के सम्बंध में।

शासन के संज्ञान में आया है कि एक राजकीय विभाग के पास अप्रयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग की उपलब्धता होने व अन्य दूसरे राजकीय विभाग/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि को उसकी आवश्यकता होने की स्थिति में नियम/प्रक्रियाओं की सुस्पष्टता न होने के कारण राजकीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सेवा विभागों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त भवनों को एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में संस्तुति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, भवन हस्तांतरणकर्ता विभाग (Landing Department) के अधिकारी एवं भवन प्राप्तकर्ता/उपयोगकर्ता विभाग (Recipient Department) के अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगें।

2– इस संबंध में क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम/ शर्तें निर्धारित की जाती हैं–

a. सरकारी/सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि के अप्रयुक्त भवन का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा, भवन का उतना ही भाग हस्तानान्तरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक है।
b. जिस परियोजना के लिए सरकारी/सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि के अप्रयुक्त भवन का हस्तान्तरण किया जा रहा हो, वह एक अनुमोदित परियोजना हो, और उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा चुका हो।
c. उक्त भवन का किसी अन्य कार्य के लिये प्रयोग न हो रहा हो।
d. हस्तान्तरित सरकारी/सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि के अप्रयुक्त भवन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिए भवन हस्तान्तरित किया गया है। यदि हस्तान्तरित किये गये उक्त भवन का प्रयोजित/निर्धारित कार्य से इतर उपयोग किया जाता है अथवा ससमय प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उक्तानुसार हस्तान्तरित भवन को नियमानुसार मूल विभाग को वापस करना होगा।

2. **समिति की संस्तुति पर राज्य के सक्षम प्राधिकारी (संबंधित जनपद के जिलाधिकारी) द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।**